Lords Chloro Alkali Limited
A-281, Ist Floor, Defence Colony, New Delhi-110 024
Phones :+91-11-40239034/35/36/37/38
E-mail : contact@lordschloro.com
Web : www.lordschloro.com

ACHIEVING NEW HEIGHTS

Date: 21.06.2024

To, The General Manager, Department of Corporate Services, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001	To, Listing Department, National Stock Exchange of India Limited, Exchange plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051
Scrip Code: 500284	**Scrip Code: LORDSCHLO**

Sub: Submission of Newspaper Advertisements as per Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of the newspaper advertisements published in the English and Hindi newspaper regarding the Notice of the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on 12.07.2024.

Kindly take the above in your record.

Thanking You.

Yours faithfully,

For Lords Chloro Alkali Limited

Hitesh Kumar
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: A/a

(vii) Upon placing the bid, the Seller Member shall provide a Transaction Registration Slip ("**TRS**") generated by the Exchange Bidding System to the Eligible Shareholder on whose behalf the bid has been placed. The TRS will contain the details of order submitted such as bid ID number, application number, Depository Participant ID, client ID, number of Equity Shares tendered, etc. In case of nonreceipt of the completed tender form and other documents, but receipt of Equity Shares in the accounts of the Clearing Corporation and a valid bid in the Exchange Bidding System, the bid by such Eligible Shareholder shall be deemed to have been accepted. It is clarified that in case of dematerialized Equity Shares, submission of the tender form and TRS is not mandatory. After the receipt of the demat Equity Shares by the Clearing Corporations and a valid bid in the exchange bidding system, the Buyback shall be deemed to have been accepted, for Eligible Shareholders holding Equity Shares in demat form.

(viii) The Eligible Shareholders will have to ensure that they keep the depository participant ("**DP**") account active and unblocked. Further, Eligible Shareholders will have to ensure that they keep the bank account attached with the DP account active and updated to receive credit remittance due to acceptance of Buyback of shares by the Company. In the event if any equity shares are tendered to clearing corporation, excess dematerialized equity shares or unaccepted dematerialized equity shares, if any, tendered by the Eligible Shareholders would be returned to them by clearing corporation. If the securities transfer instruction is rejected in the depository system, due to any issue then such securities will be transferred to the shareholder broker's (seller member's) depository pool account for onward transfer to the Eligible Shareholder. In case of custodian participant orders, excess dematerialized shares or unaccepted dematerialized shares, if any, will be returned to the respective custodian depository pool account.

(ix) Eligible shareholders who have tendered their demat shares in the buyback shall also provide all relevant documents, which are necessary to ensure transferability of the demat shares in respect of the tender form to be sent. Such documents may include (but not be limited to): (i) duly attested power of attorney, if any person other than the Eligible Shareholder has signed the tender form; (ii) duly attested death certificate and succession certificate/ legal heirship certificate, in case any Eligible Shareholder is deceased, or court approved scheme of merger/ amalgamation for a company; and (iii) in case of companies, the necessary certified corporate authorizations (including board and/ or general meeting resolutions).

(x) The Buyback from the Eligible Shareholders who are residents outside India including foreign corporate bodies (including erstwhile overseas corporate bodies), foreign portfolio investors, non-resident Indians, members of foreign nationality, if any, shall be subject to the Foreign Exchange Management Act, 1999 and rules and regulations framed thereunder, if any, Income Tax Act, 1961 and rules and regulations framed thereunder, as applicable, if and to the extent necessary or required from concerned authorities including, but not limited to, approvals from the Reserve Bank of India under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and rules and regulations framed thereunder, if any.

(xi) The reporting requirements for non-resident shareholders under Reserve Bank of India, Foreign Exchange Management Act, 1999, as amended and any other rules, regulations, guidelines, for remittance of funds, shall be made by the Eligible Shareholders and/ or the Shareholder Broker through which the Eligible Shareholder places the bid.

13.13. **Procedure to be followed by the Eligible Shareholders holding Physical Shares:**

In accordance with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated July 31, 2020, Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form can participate in the Buyback. The procedure is as below:

(i) Eligible Shareholders who are holding Equity Shares in physical form and intend to participate in the Buyback will be required to approach their respective Seller Member(s) along with the complete set of documents for verification procedures to be carried out before placement of the bid. Such documents include (i) the Tender form duly signed by all Eligible Shareholders (in case shares are in joint names, in the same order in which they hold the shares) (ii) original Equity Share certificate(s), (iii) valid share transfer form(s) i.e. Form SH-4 duly filled and signed by the transferors (i.e. by all registered Eligible Shareholders in same order and as per the specimen signatures registered with the Company) and duly witnessed at the appropriate place authorizing the transfer in favour of the Company, (iv) self-attested copy of the Eligible Shareholder's PAN card, (v) any other relevant documents such as, but not limited to, duly attested power of attorney, corporate authorization (including board resolution/specimen signature), notarized copy of death certificate and succession certificate or probated will, if the original Eligible Shareholder has deceased, etc., as applicable. In addition, if the address of the Eligible Shareholder has undergone a change from the address registered in the Register of Members of the Company, the Eligible Shareholder would be required to submit a self-attested copy of address proof consisting of any one of the following documents: valid Aadhar Card, Voter Identity Card or Passport.

(ii) Based on the aforesaid documents, the Seller Member shall place the bid on behalf of the Eligible Shareholder who is holding Equity Shares in physical form and intend to tender Equity Shares in the Buyback using the Acquisition Window of NSE. Upon placing the bid, the Seller Member shall provide a TRS generated by the Exchange Bidding System to the Eligible Shareholder. The TRS will contain the details of order submitted such as folio number, Equity Share certificate number, distinctive number, number of Equity Shares tendered, etc.

(iii) The Seller Member/Eligible Shareholder is required to deliver the original Equity Share certificate(s) and documents (as mentioned above) along with the TRS either by registered post or courier or hand delivery to the registrar to the Buyback i.e. KFin Technologies Limited ("**Registrar**") at the address mentioned at Paragraph 16 below or the collection centre of the Registrar details of which will be included in the Letter of Offer, within 2 days of bidding by Seller Member and the same should reach not later than the buyback closing date. The envelope should be super-scribed as **"Bajaj Consumer Care Limited - Buyback Offer 2024".** One copy of the TRS will be retained by Registrar and it will provide acknowledgement of the same to the Seller Member/Eligible Shareholder.

(iv) In case of non-receipt of the completed tender form and other documents, but receipt of equity shares in the account of the clearing corporation and a valid bid in the exchange bidding system, the bid for buyback shall be deemed to have been accepted.

(v) Eligible Shareholders holding physical Equity Shares should note that physical Equity Shares will not be accepted unless the complete set of documents is submitted. Acceptance of the physical Equity Shares for the Buyback shall be subject to verification as per the SEBI Buyback Regulations and any further directions issued in this regard. The Registrar will verify such bids based on the documents submitted on a daily basis and till such time NSE shall display such bids as 'unconfirmed physical bids'. Once the Registrar confirms the bids, it will be treated as 'Confirmed Bids'.

(vi) In case any Eligible Shareholder has submitted Equity Shares in physical form for dematerialisation, such Eligible Shareholders should ensure that the process of getting the Equity Shares dematerialised is completed well in time so that they can participate in the Buyback before the closure of the tendering period of the Buyback.

(vii) An unregistered shareholder holding physical shares may also tender his Equity Shares in the Buyback by submitting the duly executed transfer deed for transfer of shares, purchased prior to the Record Date, in his name, along with the offer form, copy of his PAN card and of the person from whom he has purchased shares and other relevant documents as required for transfer, if any. In the tendering process, the shareholder's broker may also process the orders received from the Eligible Shareholders.

14. METHOD OF SETTLEMENT

Upon finalization of the basis of acceptance as per SEBI Buyback Regulations:

(i) The settlement of trades shall be carried out in the manner similar to settlement of trades in the secondary market.

(ii) The Company will pay the consideration to the Company's Broker which will transfer the consideration pertaining to the Buyback to the Clearing Corporation's bank account as per the prescribed schedule. For Equity Shares accepted under the Buyback, the Clearing Corporation will make direct funds payout to the respective Eligible Shareholders. If any Eligible Shareholder's bank account details are not available or if the fund transfer instruction is rejected by the RBI or relevant bank, due to any reasons, then the amount payable to the Eligible Shareholders will be transferred to the concerned Seller Members for onward transfer to such Eligible Shareholders.

(iii) For the Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form, the funds pay-out would be given to their respective Selling Member's settlement accounts for releasing the same to the respective Eligible Shareholder's account.

(iv) In case of certain client types viz. NRI, foreign clients etc. (where there are specific RBI and other regulatory requirements pertaining to funds pay-out) who do not opt to settle through custodians, the funds pay-out would be given to their respective Selling Member's settlement accounts for releasing the same to the respective Eligible Shareholder's account. For this purpose, the client type details would be collected from the depositories, whereas funds payout pertaining to the bids settled through custodians will be transferred to the settlement bank account of the custodian, each in accordance with the applicable mechanism prescribed by the Stock Exchanges and the Clearing Corporation from time to time.

(v) Eligible Shareholder will have to ensure that they keep their DP account active and unblocked to receive credit in case of return of Equity Shares, due to rejection or due to non-acceptance of equity shares under the Buyback. Further, Eligible Shareholders will have to ensure that they keep the bank account attached to the DP account active and updated to receive credit remittance due to acceptance of Buyback of equity shares by the Company.

(vi) Details in respect of shareholder's entitlement for tender offer process will be provided to the Clearing Corporation by the Company or Registrar to the Buyback. On receipt of the same, the Clearing Corporation will cancel the excess or unaccepted blocked shares. On settlement date, all blocked shares mentioned in the accepted bid will be transferred to the Clearing Corporation.

(vii) In the case of inter depository, Clearing Corporation will cancel the excess or unaccepted shares in target depository. Source depository will not be able to release the lien without a release of IDT message from target depository. Further, release of IDT message shall be sent by target depository either based on cancellation request received from Clearing Corporation or automatically generated after matching with bid accepted detail as received from the Company or the Registrar to the Buyback. Post receiving the IDT message from target depository, source Depository will cancel/release excess or unaccepted block shares in the demat account of the shareholder. Post completion of tendering period and receiving the requisite details viz., demat account details and accepted bid quantity, source depository shall debit the securities as per the communication/message received from target depository to the extent of accepted bid shares from shareholder's demat account and credit it to Clearing Corporation settlement account in target depository on settlement date.

(viii) Any excess physical Equity Shares pursuant to proportionate acceptance/rejection will be returned to the Shareholders directly by Registrar to the Buyback by registered post or by ordinary post or courier at Shareholder's sole risk. The Company is authorized to split the share certificate and issue new consolidated share certificate for the unaccepted Equity Shares in case the Equity Shares accepted by the Company are less than the Equity Shares tendered in the Buyback by the Equity Shareholders holding Equity Shares in the physical form.

(ix) The Equity Shares bought back in dematerialized form would be transferred directly to the demat account of the Company opened for the Buyback ("**Company Demat Account**") provided it is indicated by the Company's Broker or it will be transferred by the Company's Broker to the Company Demat Account on receipt of the Equity Shares from the clearing and settlement mechanism of the Stock Exchanges.

(x) Eligible Shareholders who intend to participate in the Buyback should consult their respective Seller Member(s) for details of any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) etc., that may be levied by the Seller Member(s) upon the selling shareholders for tendering Equity Shares in the Buyback (secondary market transaction). The Buyback consideration received by the Eligible Shareholders in respect of accepted Equity Shares could be net of such costs, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) and the Manager to the Buyback and Company accepts no responsibility to bear or pay such additional cost, charges and expenses (including brokerage) incurred solely by the Eligible Shareholders.

(xi) The Seller Member(s) would issue contract note and pay the consideration for the Equity Shares accepted under the Buyback. The Company's Broker would also issue a contract note to the Company for the Equity Shares accepted under the Buyback.

(xii) The lien marked against unaccepted Equity Shares will be released, if any, or would be returned by registered post or by ordinary post or courier (in case of physical shares) at the Eligible Shareholders' sole risk. Eligible Shareholders should ensure that their depository account is maintained till all formalities pertaining to the Offer are completed.

(xiii) The Equity Shares accepted, bought and lying to the credit of the Company Demat Account and the Equity Shares bought back and accepted in physical form will be extinguished in the manner and following the procedure prescribed in the SEBI Buyback Regulations.

15. COMPLIANCE OFFICER

The Company has appointed Vivek Mishra, Head-Legal & Company Secretary as the compliance officer for the purpose of the Buyback ("**Compliance Officer**"). Investors may contact the Compliance Officer for any clarification or to address their grievances, if any, on any day except Saturday, Sunday and public holidays during office hours i.e., 10:00 a.m. to 5:00 p.m. at the below-mentioned address:

Vivek Mishra
Head-Legal, Company Secretary and Compliance Officer
Membership No.: A21901
Address: 1231, 3rd Floor, Solitaire Corporate Park, 167, Guru Hargovind Marg, Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400 093, Maharashtra, India
Tel. No.: +91 0294-2561631, 2561632;
Website: www.bajajconsumercare.com
Email: complianceofficer@bajajconsumer.com

16. INVESTOR SERVICE CENTRE AND REGISTRAR TO THE BUYBACK

In case of any queries, the shareholders may also contact KFin Technologies Limited (Formerly known as KFin Technologies Private Limited), the Registrar and Share Transfer Agent of the Company, appointed as the Investor Service Centre for the purposes of the Buyback, on all working days except Saturday, Sunday and public holidays between 11.00 a.m. (IST) to 5.00 p.m. (IST) at the following address:

KFINTECH
EXPERIENCE TRANSFORMATION

Address: Selenium Tower B, Plot No. 31 and 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Hyderabad-500 032, Telangana, India.
Telephone Number: +91 40 6716 2222
Toll-free No.:18003094001
Fax No: +91 40 6716 1563
Website: www.kfintech.com
E-mail: bajajconsumer.buyback@kfintech.com
Investor Grievance Email: einward.ris@kfintech.com
Contact Person: M. Murali Krishna
SEBI Registration Number: INR000000221
Validity Period: Permanent
CIN: L72400TG2017PLC117649

17. MANAGER TO THE BUYBACK

IIFL SECURITIES

IIFL Securities Limited
24th Floor, One Lodha Place, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W)
Mumbai 400 013, Maharashtra, India
Tel: +91 22 4646 4728
E-mail: bajajconsumer.buyback@iiflcap.com
Website: www.iiflcap.com
Contact Person: Nishita Mody
SEBI Registration Number: INM000010940
CIN: L99999MH1996PLC132983

18. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the SEBI Buyback Regulations, the Board accepts full and final responsibility for the information contained in this Public Announcement and confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of
Bajaj Consumer Care Limited

Kushagra Bajaj **Non-Executive Chairman** DIN: 00017575	**Jaideep Nandi** **Managing Director** DIN: 06938480	**Vivek Mishra** **Head-Legal & Company Secretary** Membership No.: A21901

Date : June 20, 2024
Place : Mumbai

U.P. COOPERATIVE SUGAR FACTORIES FEDERATION LTD
9-A, RANA PRATAP MARG, LUCKNOW-226001
Tel No. (0522) 2612949, (0522)2628310, Fax: (0522) 2627994
Email: upsugarfed@yahoo.co.in | Website: www.upsugarfed.org

Ref no. UPSUGARFED/8709/GM(AT) Proj Fin/36A Date : 20.06.2024

ई–टेण्डर नोटिस

उ0प्र0 के सहकारी क्षेत्र में स्थित स्लेहरेड एवं सहियोव आसवनियों का वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान तकनीकी संचालन आपटसोर्सिंग से कराने हेतु पार्टी का चयन करने के लिए अनुभवी निविदादाताओं से ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ई–निविदा की विस्तृत नियम व शर्तें ई–टेण्डर पोर्टल https://etender.up.nic.in एवं संघ की वेब साईट www.upsugarfed.org पर दिनांक 20.06.2024 से उपलब्ध रहेगी। तकनीकी व वित्तीय बिड का कार्यक्रम निम्नवत है–

ई–निविदा सबमिशन की अन्तिम तिथि व समय	ई–निविदा की तकनीकी बिड खुलने की तिथि व समय	ई–निविदा की वित्तीय बिड खुलने की तिथि व समय
28.06.2024 8.55 AM	28.06.2024 11.00 AM	28.06.2024 3.00 PM

प्रबन्ध निदेशक संघ को एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकारी सुरक्षित रहेगा।
धरोहर धनराशि (ई.एम.डी.)–रू. 10.00 लाख प्रति आसवनी
ई–निविदा प्रपत्र शुल्क – रू. 10000.00 + 18 प्र.श. जी.एस.टी. । (नान रिफन्डेबल)
नोट– जिन निविदादाताओं द्वारा दिनांक 18.06.2024 की ई–निविदा में धरोहर राशि जमा की गयी है उनकी धरोहर राशि इस निविदा में मान्य होगी। निविदा प्रपत्र शुल्क – रू. 10000.00 + 18 प्र0 श0 जी.एसटी. सभी पार्टियों को पृथक रूप से जमा करना अनिवार्य है।
प्रबन्ध निदेशक

TATA
TATA POWER
The Tata Power Company Limited
(Mundra Thermal Power Station - UMPP)
Tunda Vandh Road, Tunda Village, Mundra, Kutch, Gujarat
Reg. Office: Bombay House, 24 Homi Modi Street, Mumbai – 400 001

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST

The Tata Power Company Limited hereby invites Expression of Interest (EOI) from eligible bidders for the following requirement for 4150 MW UMPP Mundra Thermal Power Station:

1. **Supply and service for gasket replacement work in 310MVA GTs, 63MVA UTs, and 10 MVA UATs** (Ref.: MTPS25VS773)
2. **Overhauling Service for Bottom ash and fly ash system (Ref.: MTPS25VS761)**
3. **Supply, installation & commissioning of online DGA monitoring System for UT/ST** (Ref.: MTPS25VS758)
4. **Services for Cooling Water system, CEP & VP Overhaul (Ref: 2500018203)**
5. **Services for GAH Baskets Washing with Remote Operated Hydro-jet system** (Ref: 2500018204)

For prequalification requirements, tender fee, bid security etc., please visit Tender section of our website (**URL: https://www.tatapower.com/tender/tenderlist.aspx**) and refer detailed Tender Notice for subject tender. Eligible bidders willing to participate in this tender may submit their Expression of Interest along with the Tender Fee latest by **06/07/2024.**

CENTUM ELECTRONICS LIMITED
CIN: L85110KA1993PLC013869
Regd Office: No. 44, KHB Industrial Area, Yelahanka New Town, Bangalore - 560 106, Karnataka, India Tel: 080 - 4143 6000
Email id: investors@centumelectronics.com

NOTICE is hereby given that the following share certificates issued by the company are stated to have been lost or misplaced or stolen and the registered holders of the shares have applied to the company for issue of duplicate share certificate.

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

NAME OF THE SHARE HOLDER	FOLIO NO.	CERTIFICATE. NO.	DISTINCTIVE NO. FROM	TO	SHARES
PACIFIC LEASING & RESEARCH PVT LTD	SCE000408	70408	25201	26650	1450
		90328	7428190	7429155	966

The public are hereby warned against purchase or dealing in any way with the above said share certificates. Any person(s) who has/have any claim(s) in respect of the said share certificates should lodge such claim(s) with the company at its registered office at the address given above **within 15 days** of the publication of the notice after which no claim will be entertained and the company will proceed to issue the duplicate share certificate(s).

PLACE : BANGALORE
DATE : 20.06.2024

For CENTUM ELECTRONICS LIMITED
INDU HS
Company Secretary & Compliance Officer

LORDS CHLORO ALKALI LIMITED
CIN NO : L24117RJ1979PLC002099
Regd Office : SP-460, Matsya Industrial Area, Alwar-301030 (Rajasthan)
Corp. Off. : A-281, 1st Floor, Defence Colony, New Delhi-110024
Phone : 011-40239034/35, Website : www.lordschloro.com
E-mail : secretarial@lordschloro.com

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting (EGM) of Members of the Company will be held on Friday, 12th July, 2024 at 11.00 A.M at Registered Office of the Company at SP-460, Matsya Industrial Area, Alwar-301030 (Rajasthan) to transact the businesses as set out in the Notice dated 17th June, 2024 for convening the EGM.

In line with the aforesaid MCA Circulars dated 28.12.2022, the Notice convening the EGM along with Attendance Slip and Proxy Form have been sent in electronic mode to Members on 20.06.2024 whose E-mail IDs are already registered with the Company or Depository Participant(s). The requirement of sending the physical copy of the Notice of the EGM to the members has been dispensed with MCA circulars.

The Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the Company and who wish to receive the Notice of the EGM and e-voting details can write us at secretarial@lordschloro.com. For this purpose they can send scanned copy of signed request letter mentioning folio number, complete address and the email address to be registered along with self-attested copy of the PAN Card and any document supporting the registered address of the Member. Members holding shares in demat form are requested to register their email addresses with their Depository Participant(s) only.

The Notice of EGM is also available on the Company's website i.e. https://www.lordschloro.com/investor-information.html, NSDL's website i.e. www.evoting.nsdl.com.

The documents pertaining to all the items of the business to be transacted in the EGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on any working day upto the date of EGM.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the Company is pleased to provide its members facility to exercise their right to vote at the Extra-Ordinary General Meeting (EGM) by electronic means and the business may be transacted through remote e-Voting Services. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the EGM (remote e-voting) will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

The details as required under Companies Act, 2013 and rules made thereunder are mentioned below:

a) The Special Businesses as set out in the Notice of EGM may be transacted through remote e-voting.
b) Date and time of commencement of remote e-Voting: Tuesday 09th July, 2024 at 9.00 A.M.
c) Date and time of end of remote e-Voting: Thursday, 11th July, 2024 at 5.00 P.M.
d) The cut-off date to determine eligibility to cast vote by e-voting or voting at the EGM through Ballot is Friday, 05th July, 2024.
e) Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, 05th July, 2024 may obtain the sequence number, in case of holding shares in physical form, by sending a request at evoting@nsdl.co.in or secretarial@lordschloro.com and if the shares are in demat form, please refer the Note no. 11 of Notice of EGM as "Voting through electronic means" of Notice of EGM.
f) Statement as per the requirement of the Act:
   A. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on Thursday, 11th July, 2024.
   B. The facility for casting the vote through Ballot Paper will be made available at the EGM and the Members attending the EGM who have not cast their vote by means of remote e-Voting shall be able to cast their vote at the EGM through Ballot Paper.
   C. The Members who have cast their vote by remote e-Voting may also attend the EGM but shall not be entitled to cast vote again.
   D. A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Friday, 05th July, 2024, shall only be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as the voting in the EGM.
g) The Notice of EGM is available on the website of the Company at https://www.lordschloro.com/investor-information.html , on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com, on the website of the BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of the National Stock Exchange of India Limited at https://www.nseindia.com. For electronic voting instructions, Members may go through the instructions in the Notice of the EGM and in case you have any query or issue regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at https:// www.evoting.nsdl.com/.
h) All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, Trade World, A wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013, or send an email to evoting@nsdl.co.in or call on 1800 102 0990/ 1800 224 430.

For Lords Chloro Alkali Limited
Sd/-
Ajay Virmani
Managing Director

Date : 20th June, 2024
Place : New Delhi

IndusInd Bank

FINANCIAL RESTRUCTURING & RECONSTRUCTION GROUP,
11th Floor, Hyatt Regency Complex,
New Tower, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of immovable properties mortgaged to IndusInd Bank under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("the Act") read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. Notice is hereby given to the public in general and to the Borrower / Mortgagors / Guarantors in particular that the Authorised Officer of IndusInd Bank Limited had taken **Physical Possession** of the following property(ies) mentioned pursuant to demand raised vide notice issued under Section 13(2) of the Act in the following loan account with right to sell the same on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS, WHATEVER IS THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" for realization of Bank's dues plus interest as detailed hereunder and whereas consequent upon failure to repay the dues, the undersigned in exercise of power conferred under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules proposes to realize the Bank's dues by sale of the said property(ies). The sale of the below mentioned properties shall be conducted by way of E-auctions through web portal: **https://www.bankeauctions.com**

Name of Account/ Mortgagors/ Guarantors	Amount as per Demand Notice & Demand Notice Date
1. **M/s. Capital Grains (Borrower)** through its prop: **Mr. Rajesh Kumar**, Room Pvt No. Property No. 3999/2, Naya Bazar, New Delhi-110006, **Also at:** Office No. 112, First Floor, Near Indian Bank, Maharaja Agrasen Shopping Complex, Sector-9, Rohini New Delhi-110085; **2. Mr. Rajesh Kumar (Guarantor)** Office No. 112, First Floor, Near Indian Bank, Maharaja Agrasen Shopping Complex, Sector-9, Rohini New Delhi-110085, **Also at:** E-107 Ekta Appartment First Floor, Near DC Chowk, Plot No. 23, Sector-13 Rohini Sector-7 North West Delhi-110085; **3. Mrs. Veena Arya (Guarantor)** Office No. 112, First Floor, Near Indian Bank, Maharaja Agrasen Shopping Complex, Sector-9, Rohini New Delhi–110085, **Also at:** E-107 Ekta Appartment First Floor, Near DC Chowk, Plot No. 23, Sector-13 Rohini Sector-7 North West Delhi-110085.	**Rs. 2,03,10,715.75 (Rupees Two crore three Lakh Ten Thousand Seven Hundred Fifteen and Paise Seventy Five only) as on 31.01.2024** and further interest and penal interest at the applicable rate of interest from 01.02.2024 and any other costs, charges, expenses incurred thereon, less credit if any. **Demand Notice Date: 23.02.2024**

Details of properties	Reserve Price / EMD / Bid increase amount	Date & time of E-Auction	Last Date of Bid Submission
All piece & parcel of Flat No. E-107, First Floor, Category MIG situated in layout plan of Ekta Cooperative Group Housing Society Ltd. Known as Satya Shanti Apartment at Plot No. 23, Sector-13, Rohini-Delhi, Delhi-110085 alongwith the free hold rights of the land under the said flat measuring 78 sq. mtrs.	Rs. 1.70 Crore Rs. 17.00 Lakh Rs. 1.00 Lakh	26.07.2024 From 10.00 AM to 11.00 AM	24.07.2024 up to 4:00 PM

Name and contact details of Authorised Officer- Yatendra Kumar, Mobile No. 9990799379, E-mail ID:- kumar.yatendra@indusind.com

TERMS & CONDITIONS: 1. The interested bidders shall submit their EMD details and documents through Web Portal: **https:www.bankeauctions.com** (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering name with **https://www.bankeauctions.com**) through Login ID & password. **The EMD shall be payable through NEFT / RTGS in the following account: 00053564604005, IFSC Code - INDB0000005 latest by 4:00 PM** on or before the dates mentioned in the table above. Please note that the Cheques shall not be accepted as EMD amount. **2.** The Bank shall however not be responsible for any outstanding statutory dues / encumbrances / tax arrears, if any. The intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of property(ies) & to inspect & satisfy themselves. Property can be inspected with prior appointment with the Authorised Officer. **3.** The intended bidders who have deposited the EMD and require assistance in creating login ID & password, uploading data, submitting bid, training on e-bidding process etc., may contact our service provider **M/s C1 India Private Limited, Helpline Nos. 0124-4302020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024, Mr. Mithalesh Kumar, Mob. No. +91-7080804466, email ID: support@bankeauctions.com** and for any property related query may contact the Authorised Officer as mentioned above in office hours during the working days (10 AM to 5 PM). **4.** The highest bid shall be subject to approval of IndusInd Bank Limited. Authorised Officer reserves the right to accept / reject all or any of the offers / bids so received without assigning any reasons whatsoever. His decision shall be final & binding. **5.** In case of any default of respective payment within the stipulated period, the sale will automatically stand revoked and the entire deposit made by the bidder together with the earnest money shall be forfeited without any notice and the property(ies) shall be resold. The defaulting bidder shall not have the recourse / claim against the Bank / Authorised Officer. **6.** For detailed terms and conditions refer to the Bank's website **www.indusind.com** and **www.bankeauctions.com.**

STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) & RULE 9(1) OF THE SARFAESI ACT,2002

The borrower / guarantors /mortgagors are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto date interest and ancillary expenses before the date of e-Auction, falling which the property will be auctioned / sold and balance due, if any, will be recovered with interest and cost.

Date: 21.06.2024 **Place: Rohini (Delhi)** *Authorised Officer, IndusInd Bank Ltd.*

Parsvnaths
committed to build a better world

PARSVNATH LANDMARK DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
Regd. Office: Parsvnath Tower, Near Shahdara Metro Station, Shahdara, Delhi - 110 032
CIN : U45201DL2003PTC122489, Tel. : 011-43050100, 43010500; Fax : 011-43050473
E-mail : secretarial@parsvnath.com; website : www.parsvnath.com/pldpl

Extracts of Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2024

(₹ in Lakhs)

SL. No.	Particulars	Quarter ended 31-03-2024 Audited	Quarter ended 31-03-2023 Audited	Year ended 31-03-2024 Audited	Year ended 31-03-2023 Audited
1	Total Income from Operations	1,564.14	1,146.66	5,590.53	1,648.25
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,680.87)	(2,211.63)	(6,471.15)	(2,227.54)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,680.87)	(2,211.63)	(6,471.15)	(2,227.54)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,680.87)	(2,575.56)	(7,365.67)	(7,516.07)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1,681.93)	(2,575.56)	(7,366.73)	(7,516.07)
6	Paid up Equity Share Capital	328.21	328.21	328.21	328.21
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(32,091.70)	(24,724.97)	(32,091.70)	(24,724.97)
8	Net worth	(31,763.49)	(24,396.76)	(31,763.49)	(24,396.76)
9	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	-	-	-	-
10	Debt Equity Ratio	(0.54)	(0.68)	(0.54)	(0.68)
11	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	1. Basic:	(51.25)	(78.47)	(224.46)	(229.01)
	2. Diluted:	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12	Debenture Redemption Reserve	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
13	Capital Redemption Reserve	-	-	-	-
14	Debt Service Coverage Ratio	-	-	(1.13)	(0.44)
	(Since earnings before interest and tax is Negative)				
15	Interest Service Coverage Ratio	-	-	(1.13)	(0.45)
	(Since earnings before interest and tax is Negative)				

NOTES :

a) The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015("Listing Regulations"). The full format of the financial results are available on the website of BSE Ltd (www.bseindia.com) and the Compnay (www.parsvnath.com/pldpl).The Company's debentures are listed and therefore Regulation 52 of the Listing Regulations is applicable to the Company.
b) For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the Listing Regulations, the pertinent disclosures have been made to BSE Ltd. and can be accessed on the URL www.bseindia.com.
c) The above financial results have been approved by the Board of Directors in the meeting held on June 19, 2024. Figures for the quarter and year ended March 31, 2024 have been taken as audited.
d) The Company has not received any complaint from the investor during the year ended March 31, 2024 and there was no complaint pending at the beginning of the year.
e) Figures for the previous year/period have been regrouped for the purpose of comparison.

For and on behalf of the Board
Parsvnath Landmark Developers Pvt Ltd
Sd/-
Surya Mani Pandey
Director
DIN: 08250346

Place : Delhi
Dated: June 19, 2024

कार्यालय ग्राम पंचायत सिमरिया सहसपुर वि.खं. ददरौल, शाहजहाँपुर

निविदा आमंत्रण सूचना

पंजीकृत फर्मों के सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत की कार्ययोजना के अनुसार वर्ष 2024–25 में केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग व SLWM व मनरेगा से ग्राम पंचायत में सीसी रोड, इंटरलाकिंग रोड निर्माण, नाली निर्माण/मरम्मत, खण्डजा निर्माण/मरम्मत, मिट्टी कार्य, फर्नीचर व दरी स्ट्रीट व सोलर लाइट, एलईडी लाइट स्थापना/मरम्मत, हैंडपम्प रिबोर/मरम्मत, ह्यूम पाइप क्रय, वॉल पेंटिंग, स्कूल शौचालय निर्माण, दिव्यांग शौचालय निर्माण, मरम्मत, आंगनबाड़ी निर्माण/मरम्मत, स्कूल बॉउंड्रीवाल, पंचायत घर निर्माण, विद्यालयों का कायाकल्प, रंगाई, पुताई, सीएससी केंद्र निर्माण, शोकपिट निर्माण, रैन वॉटर हार्वेस्टिंग, आरआरसी केंद्र निर्माण, खाद गड्ढे, हैंडपंप रेट्रो फिटिंग, समर सेवल कार्य, लाइट फिटिंग, गौशाला हेतु भूसा, हरा चारा, चोकर आदि तथा अन्य कार्य अनुरक्षण सहित कराए जाने है। उक्त वर्णित कार्यों के लिए सामग्री क्रय हेतु ईंट, इंटरलाकिंग ईंट, रोड़ा, सीमेंट, मौरंग, रेत, लोहा सरिया, बजरी, टाइल्स, पाइप, लोहे के एंगल, गाटर/टीन चादर, टोंटी, प्रचार प्रसार बोर्ड, स्टेशनरी, पटान हेतु मिट्टी/राख, ठेली क्रय, ई रिक्शा क्रय सफाई कर्मियों के लिए पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क, फागिंग सफाई किट, कूड़ादान, लोहे के गेट व विंडो अन्य सामग्री/वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सीलबंद निविदाएं ग्राम पंचायत कार्यालय पर दोपहर 12 बजे तक दिनांक 24.06.2024 तक आमंत्रित की जाती है। दिनांक 25.06.2024 को अपराह्न 02 बजे खोली जाएंगी। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

श्रीमती विद्यावती- प्रधान | गोपाल सिंह- सचिव

कार्यालय ग्राम पंचायत गुलामखेड़ा वि.खं. ददरौल, शाहजहाँपुर

निविदा आमंत्रण सूचना

पंजीकृत फर्मों के सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत की कार्ययोजना के अनुसार वर्ष 2024–25 में केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग व SLWM व मनरेगा से ग्राम पंचायत में सीसी रोड, इंटरलाकिंग रोड निर्माण, नाली निर्माण/मरम्मत, खण्डजा निर्माण/मरम्मत, मिट्टी कार्य, फर्नीचर व दरी स्ट्रीट व सोलर लाइट, एलईडी लाइट स्थापना/मरम्मत, हैंडपम्प रिबोर/मरम्मत, ह्यूम पाइप क्रय, वॉल पेंटिंग, स्कूल शौचालय निर्माण, दिव्यांग शौचालय निर्माण, मरम्मत, आंगनबाड़ी निर्माण/मरम्मत, स्कूल बॉउंड्रीवाल, पंचायत घर निर्माण, विद्यालयों का कायाकल्प, रंगाई, पुताई, सीएससी केंद्र निर्माण, शोकपिट निर्माण, रैन वॉटर हार्वेस्टिंग, आरआरसी केंद्र निर्माण, खाद गड्ढे, हैंडपंप रेट्रो फिटिंग, समर सेवल कार्य, लाइट फिटिंग, गौशाला हेतु भूसा, हरा चारा, चोकर आदि तथा अन्य कार्य अनुरक्षण सहित कराए जाने है। उक्त वर्णित कार्यों के लिए सामग्री क्रय हेतु ईंट, इंटरलाकिंग ईंट, रोड़ा, सीमेंट, मौरंग, रेत, लोहा सरिया, बजरी, टाइल्स, पाइप, लोहे के एंगल, गाटर/टीन चादर, टोंटी, प्रचार प्रसार बोर्ड, स्टेशनरी, पटान हेतु मिट्टी/राख, ठेली क्रय, ई रिक्शा क्रय सफाई कर्मियों के लिए पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क, फागिंग सफाई किट, कूड़ादान, लोहे के गेट व विंडो अन्य सामग्री/वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सीलबंद निविदाएं ग्राम पंचायत कार्यालय पर दोपहर 12 बजे तक दिनांक 24.06.2024 तक आमंत्रित की जाती है। दिनांक 25.06.2024 को अपराह्न 02 बजे खोली जाएंगी। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

श्री मुनेश्वर- प्रधान | गोपाल सिंह- सचिव

प्रपत्र फॉम 'ए' सार्वजनिक सूचना

[भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के तहत]

अनुषा इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स और कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण		
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	अनुषा इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स और कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	03/06/2004
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या	U70101DL2004PTC126755
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालयः 1/7096, दूसरी मंजिल, गली नंबर 5, शिवाजी पार्क, शाहदरा, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110032
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरम्भ करने की तिथि	14 जून 2024 (आदेश दिनांक 14.06.2024) (आदेश की प्रति 18.06.2024 को प्राप्त हुई)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	11 दिसंबर 2024 (आदेश दिनांक 14.06.2024 तारीख से 180 दिन)
8.	अंतरिम समाधान व्यवसायी के रूप में कार्यरत ऋणशोधन अक्षमता व्यवसायी का नाम और पंजीकरण संख्या	श्री अंकित गोयल, IBBI/IPA-001/IP-P-2671 /2022-2023/14088
9.	अंतरिम समाधान व्यवसायी का पता और ई–मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीकृत है।	पताः ई–10ए, कैलाश कॉलोनी, साउथ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली – 110048 ईमेल : ankitgoel@aaainsolvency.in
10.	अंतरिम समाधान व्यवसायी के साथ पत्र–व्यवहार हेतु प्रयोग किए जाने के लिए पता एवं ई–मेल	पताः एएए हाउस 64, ओखला एस्टेट फेज III (मोदी मिल के पास), नई दिल्ली– 110020 ईमेलः aeccpl.ibc@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	2 जुलाई 2024 (आदेश प्राप्ति की तारीख से 14 दिन) (आदेश की प्रति 18.06.2024 को प्राप्त हुई)।
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप–धारा (6ए) के क्लॉज (बी) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	आवेदियों को अपना दावा मेलः aeccpl.ibc@gmail.com पर दर्ज करना होगा और हार्ड कॉपी बिंदु संख्या 10 में उल्लिखित पते पर जमा करनी होगी।
13.	एक श्रेणी के अंतर्गत ऋणदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए चिन्हित दिवाला व्यवसायियों के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिये तीन नाम)	1. अखिल आहूजा IBBI/IPA-001/IP-P-02072/2020-2021/13213 2. मनोज कुमार आनंद IBBI/IPA-001/IP-P00084/2017-18/10180 3. राजेंद्र पाल चंदेल IBBI/IPA-002/IP-N01220/2022-2023/14135
14.	(क) प्रासंगिक प्रपत्र एवं (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध हैं:	वेबसाइट की लिंकः (ए) https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

एतद्द्वारा द्वारा नोटिस दिया जाता है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 14 जून 2024 को अनुषा इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है (आदेश की प्रति 18.06.2024 को प्राप्त हुई)।

अनुषा इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों को 2 जुलाई 2024 तक या उससे पहले (आदेश प्राप्त होने की तारीख से 14 दिन) प्रविष्टि संख्या 10 के सामने उल्लिखित पते पर अंतरिम समाधान पेशेवर को सबूत के साथ अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय ऋणदाता अपने दावे प्रमाण के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सबूत के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रविष्टि संख्या 12 के सामने सूचीबद्ध एक वर्ग से संबंधित एक वित्तीय ऋणदाता, फॉर्म सीए में वर्ग गृह खरीदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि संख्या 13 के खिलाफ सूचीबद्ध तीन दिवालियापन पेशेवरों में से अधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद का संकेत देगा।

दावे के झूठे या भ्रामक सबूत प्रस्तुत करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

श्री अंकित गोयल
IBBI/IPA-001/IP-P-2671 /2022-2023/14088
अंतरिम समाधान पेशेवर
अनुषा इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के मामले में
एएफए - 30/06/2025 तक वैध

दिनांक : 20/06/2024
स्थान : नई दिल्ली

टाटा कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वां तल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई-400013

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

यह सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल लिमिटेड (टीसीएल) एक गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वां तल, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई–400013 और नई दिल्ली ("शाखा") में अन्य स्थानों पर एक शाखा कार्यालय है। कि दिनांक 24.11.2023 के आदेशों के तहत, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) मुंबई ने टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ("टीसीएफएसएल") और टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड ("टीसीसीएल") के बीच हस्तांतरणकर्ताओं के रूप में और टाटा कैपिटल लिमिटेड ("टीसीएल") के बीच हस्तांतरिती के रूप में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 के साथ पठित धारा 230 से 232 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों के तहत व्यवस्था की योजना ("उक्त योजना") को विधिवत मंजूरी दे दी है। इसके संदर्भ में, टीसीएफएसएल और टीसीसीएल (हस्तांतरणकर्ता कंपनियां) अपने उपक्रम के साथ सभी संपत्तियों, परिसंपत्तियों, परिसंपत्तियों, अधिकारों, लाभों, हित, कर्तव्यों, दायित्वों, देनदारियों, अनुबंधों, समझौतों, प्रतिभूतियाँ आदि के साथ 01.01.2024 से प्रभावी होकर एक चलायमान प्रतिष्ठान के रूप में टीसीएल में विलय कर चुकी हैं। उक्त आदेश और योजना के अनुसरण में, टीसीएफएसएल द्वारा निष्पादित सभी सुविधागत प्रलेख और उनके संबंध में सभी बकाया, आवेदक कंपनी को हस्तांतरित कर दिए गए हैं और इस प्रकार टीसीएल इसके संदर्भ में (उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं) से उनका दावा करने की हकदार है।

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उन्होंने दिनांक 27.12.2021 को एक मांग सूचना निर्गत की है, जिसमें उधारकर्ताओं से उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने का निर्देश दिया गया है।

(उधारकर्ताओं का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है)।

उधारकर्तागण, राशि चुकाने में विफल रहे, अतएव एतदद्वारा उधारकर्ताओं को विशेष रूप में और जनसाधारण को सामन्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त अधिनियम के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत भौतिक अधिग्रहण कर लिया है।

विशेष रूप में उधारकर्ताओं और सामान्य रूप में सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन, निम्न तालिका में संदर्भित एक राशि तथा मांग सूचना की तिथि से राशि पर नियत ब्याज एवं दांडिक ब्याज, लागतों, शुल्कों, इत्यादि हेतु टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

ऋण खाता संख्या	दायित्वधारकों / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	मांग सूचनाओं की राशि तथा तिथि	भौतिक अधिग्रहण की तिथि
7028984	1. प्राइमलैंड प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड इसके निदेशक/प्राधिकृत के माध्यम से। हस्ताक्षरकर्ता गौरव अग्रवाल हाउस नं.– 15, 5वीं मंजिल, तुबा पैलेस, मदन मोहन मालवीय मार्ग, हजारगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226001 ङः +91– 9454109346/9532688236 एलजीएफ, एम–18, गोले मार्केट, महानगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226006 ऑफिस स्पेस नं. 1, चौथी मंजिल, शालीमार एल्डी प्लाजा, 5/सीपी– 105, इंदिरा नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश– 226016 पर स्थित 2. शालिनी अग्रवाल हाउस नं.– 15, 5वीं मंजिल, तुबा पैलेस, मदन मोहन मालवीय मार्ग, हजारगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226001 3. शशि अग्रवाल हाउस नं.– 15, 5वीं मंजिल, तुबा पैलेस, मदन मोहन मालवीय मार्ग, हजारगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226001 ङः +91– 9532600230 4. मेसर्स वायुपुत्र बुलियन अपने प्रोप. एम–17, डोबरियाल कॉम्प्लेक्स, बेसमेंट, गोले मार्केट, महानगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226006 के माध्यम से 5. गौरव अग्रवाल हाउस नंबर– 15, 5वीं मंजिल, तुबा पैलेस, मदन मोहन मालवीय मार्ग, हजारगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226001 6. गोपाल दास अग्रवाल हाउस नंबर– 15, 5वीं मंजिल, तुबा पैलेस, मदन मोहन मालवीय मार्ग, हजारगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226001 7. रामेस्थ डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक के माध्यम से एम–17, डोबरियाल कॉम्प्लेक्स, बेसमेंट, गोले मार्केट, महानगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226006	रु. 1,76,29,187/– दिनांक 27.12.2021	20.06.2024

संपत्ति का विवरण : अनुसूची–ए कार्यालय स्थान संख्या 1. चौथी मंजिल "शालीमार एल्डी प्लाजा" पर स्थित, प्लॉट संख्या 5/सीपी–105, इंदिरा नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित, जिसका अनुमानित सुपर एरिया 184.57 वर्ग मीटर है, यानी लगभग 1986 वर्ग फीट, विशेष रूप से 30.07.2012 की बिक्री विलेख में वर्णित है, जो मेसर्स प्राइमलैंड प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में निष्पादित है। अपने अधिकृत प्रतिनिधि / निदेशक, गौरव अग्रवाल के माध्यम से, बुक नंबर i, जिल्द नंबर 9345, पृष्ठ 229 से 344 पर सीरियल नंबर 6081 पर दिनांक 22.08.2012 को पंजीकृत, उप रजिस्ट्रार– iii, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में विधिवत पंजीकृत। सीमाः पूर्वः कार्यालय स्थान नंबर 2, और फ्रंट सेटबैक, पश्चिमः लिफ्ट और इलेक्ट्रिकल रूम, उत्तरः प्रवेश द्वार और सामान्य मार्ग और स्थान नंबर 2, दक्षिणः साइड सेटबैक

दिनांक : 20/06/2024 | **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : लखनऊ, उत्तर प्रदेश | **टाटा कैपिटल लिमिटेड**

कार्यालय ग्राम पंचायत भेदपुर वि.खं. ददरौल, शाहजहाँपुर

निविदा आमंत्रण सूचना

पंजीकृत फर्मों के सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत की कार्ययोजना के अनुसार वर्ष 2024–25 में केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग व SLWM व मनरेगा से ग्राम पंचायत में सीसी रोड, इंटरलाकिंग रोड निर्माण, नाली निर्माण/मरम्मत, खण्डजा निर्माण/मरम्मत, मिट्टी कार्य, फर्नीचर व दरी स्ट्रीट व सोलर लाइट, एलईडी लाइट स्थापना/मरम्मत, हैंडपम्प रिबोर/मरम्मत, ह्यूम पाइप क्रय, वॉल पेंटिंग, स्कूल शौचालय निर्माण, दिव्यांग शौचालय निर्माण, मरम्मत, आंगनबाड़ी निर्माण/मरम्मत, स्कूल बॉउंड्रीवाल, पंचायत घर निर्माण, विद्यालयों का कायाकल्प, रंगाई, पुताई, सीएससी केंद्र निर्माण, शोकपिट निर्माण, रैन वॉटर हार्वेस्टिंग, आरआरसी केंद्र निर्माण, खाद गड्ढे, हैंडपंप रेट्रो फिटिंग, समर सेवल कार्य, लाइट फिटिंग, गौशाला हेतु भूसा, हरा चारा, चोकर आदि तथा अन्य कार्य अनुरक्षण सहित कराए जाने है। उक्त वर्णित कार्यों के लिए सामग्री क्रय हेतु ईंट, इंटरलाकिंग ईंट, रोड़ा, सीमेंट, मौरंग, रेत, लोहा सरिया, बजरी, टाइल्स, पाइप, लोहे के एंगल, गाटर/टीन चादर, टोंटी, प्रचार प्रसार बोर्ड, स्टेशनरी, पटान हेतु मिट्टी/राख, ठेली क्रय, ई रिक्शा क्रय सफाई कर्मियों के लिए पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क, फागिंग सफाई किट, कूड़ादान, लोहे के गेट व विंडो अन्य सामग्री/वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सीलबंद निविदाएं ग्राम पंचायत कार्यालय पर दोपहर 12 बजे तक दिनांक 24.06.2024 तक आमंत्रित की जाती है। दिनांक 25.06.2024 को अपराह्न 02 बजे खोली जाएंगी। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

श्रीमती गीता- प्रधान | गोपाल सिंह- सचिव

कार्यालय ग्राम पंचायत शहबेगपुर वि.खं. ददरौल, शाहजहाँपुर

निविदा आमंत्रण सूचना

पंजीकृत फर्मों के सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत की कार्ययोजना के अनुसार वर्ष 2024–25 में केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग व SLWM व मनरेगा से ग्राम पंचायत में सीसी रोड, इंटरलाकिंग रोड निर्माण, नाली निर्माण/मरम्मत, खण्डजा निर्माण/मरम्मत, मिट्टी कार्य, फर्नीचर व दरी स्ट्रीट व सोलर लाइट, एलईडी लाइट स्थापना/मरम्मत, हैंडपम्प रिबोर/मरम्मत, ह्यूम पाइप क्रय, वॉल पेंटिंग, स्कूल शौचालय निर्माण, दिव्यांग शौचालय निर्माण, मरम्मत, आंगनबाड़ी निर्माण/मरम्मत, स्कूल बॉउंड्रीवाल, पंचायत घर निर्माण, विद्यालयों का कायाकल्प, रंगाई, पुताई, सीएससी केंद्र निर्माण, शोकपिट निर्माण, रैन वॉटर हार्वेस्टिंग, आरआरसी केंद्र निर्माण, खाद गड्ढे, हैंडपंप रेट्रो फिटिंग, समर सेवल कार्य, लाइट फिटिंग, गौशाला हेतु भूसा, हरा चारा, चोकर आदि तथा अन्य कार्य अनुरक्षण सहित कराए जाने है। उक्त वर्णित कार्यों के लिए सामग्री क्रय हेतु ईंट, इंटरलाकिंग ईंट, रोड़ा, सीमेंट, मौरंग, रेत, लोहा सरिया, बजरी, टाइल्स, पाइप, लोहे के एंगल, गाटर/टीन चादर, टोंटी, प्रचार प्रसार बोर्ड, स्टेशनरी, पटान हेतु मिट्टी/राख, ठेली क्रय, ई रिक्शा क्रय सफाई कर्मियों के लिए पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क, फागिंग सफाई किट, कूड़ादान, लोहे के गेट व विंडो अन्य सामग्री/वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सीलबंद निविदाएं ग्राम पंचायत कार्यालय पर दोपहर 12 बजे तक दिनांक 24.06.2024 तक आमंत्रित की जाती है। दिनांक 25.06.2024 को अपराह्न 02 बजे खोली जाएंगी। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

श्रीमती अर्वती- प्रधान | गोपाल सिंह- सचिव

कार्यालय ग्राम पंचायत गंधार वि.खं. ददरौल, शाहजहाँपुर

निविदा आमंत्रण सूचना

पंजीकृत फर्मों के सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत की कार्ययोजना के अनुसार वर्ष 2024–25 में केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग व SLWM व मनरेगा से ग्राम पंचायत में सीसी रोड, इंटरलाकिंग रोड निर्माण, नाली निर्माण/मरम्मत, खण्डजा निर्माण/मरम्मत, मिट्टी कार्य, फर्नीचर व दरी स्ट्रीट व सोलर लाइट, एलईडी लाइट स्थापना/मरम्मत, हैंडपम्प रिबोर/मरम्मत, ह्यूम पाइप क्रय, वॉल पेंटिंग, स्कूल शौचालय निर्माण, दिव्यांग शौचालय निर्माण, मरम्मत, आंगनबाड़ी निर्माण/मरम्मत, स्कूल बॉउंड्रीवाल, पंचायत घर निर्माण, विद्यालयों का कायाकल्प, रंगाई, पुताई, सीएससी केंद्र निर्माण, शोकपिट निर्माण, रैन वॉटर हार्वेस्टिंग, आरआरसी केंद्र निर्माण, खाद गड्ढे, हैंडपंप रेट्रो फिटिंग, समर सेवल कार्य, लाइट फिटिंग, गौशाला हेतु भूसा, हरा चारा, चोकर आदि तथा अन्य कार्य अनुरक्षण सहित कराए जाने है। उक्त वर्णित कार्यों के लिए सामग्री क्रय हेतु ईंट, इंटरलाकिंग ईंट, रोड़ा, सीमेंट, मौरंग, रेत, लोहा सरिया, बजरी, टाइल्स, पाइप, लोहे के एंगल, गाटर/टीन चादर, टोंटी, प्रचार प्रसार बोर्ड, स्टेशनरी, पटान हेतु मिट्टी/राख, ठेली क्रय, ई रिक्शा क्रय सफाई कर्मियों के लिए पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क, फागिंग सफाई किट, कूड़ादान, लोहे के गेट व विंडो अन्य सामग्री/वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सीलबंद निविदाएं ग्राम पंचायत कार्यालय पर दोपहर 12 बजे तक दिनांक 24.06.2024 तक आमंत्रित की जाती है। दिनांक 25.06.2024 को अपराह्न 02 बजे खोली जाएंगी। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

श्रीमती गीता सिंह- प्रधान | गोपाल सिंह- सचिव

कार्यालय ग्राम पंचायत सुनौरा अजमतपुर वि.खं. ददरौल, शाहजहाँपुर

निविदा आमंत्रण सूचना

पंजीकृत फर्मों के सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत की कार्ययोजना के अनुसार वर्ष 2024–25 में केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग व SLWM व मनरेगा से ग्राम पंचायत में सीसी रोड, इंटरलाकिंग रोड निर्माण, नाली निर्माण/मरम्मत, खण्डजा निर्माण/मरम्मत, मिट्टी कार्य, फर्नीचर व दरी स्ट्रीट व सोलर लाइट, एलईडी लाइट स्थापना/मरम्मत, हैंडपम्प रिबोर/मरम्मत, ह्यूम पाइप क्रय, वॉल पेंटिंग, स्कूल शौचालय निर्माण, दिव्यांग शौचालय निर्माण, मरम्मत, आंगनबाड़ी निर्माण/मरम्मत, स्कूल बॉउंड्रीवाल, पंचायत घर निर्माण, विद्यालयों का कायाकल्प, रंगाई, पुताई, सीएससी केंद्र निर्माण, शोकपिट निर्माण, रैन वॉटर हार्वेस्टिंग, आरआरसी केंद्र निर्माण, खाद गड्ढे, हैंडपंप रेट्रो फिटिंग, समर सेवल कार्य, लाइट फिटिंग, गौशाला हेतु भूसा, हरा चारा, चोकर आदि तथा अन्य कार्य अनुरक्षण सहित कराए जाने है। उक्त वर्णित कार्यों के लिए सामग्री क्रय हेतु ईंट, इंटरलाकिंग ईंट, रोड़ा, सीमेंट, मौरंग, रेत, लोहा सरिया, बजरी, टाइल्स, पाइप, लोहे के एंगल, गाटर/टीन चादर, टोंटी, प्रचार प्रसार बोर्ड, स्टेशनरी, पटान हेतु मिट्टी/राख, ठेली क्रय, ई रिक्शा क्रय सफाई कर्मियों के लिए पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क, फागिंग सफाई किट, कूड़ादान, लोहे के गेट व विंडो अन्य सामग्री/वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सीलबंद निविदाएं ग्राम पंचायत कार्यालय पर दोपहर 12 बजे तक दिनांक 24.06.2024 तक आमंत्रित की जाती है। दिनांक 25.06.2024 को अपराह्न 02 बजे खोली जाएंगी। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

श्री जयपाल- प्रधान | गोपाल सिंह- सचिव

लॉर्ड्स क्लोरो अल्कली लिमिटेड

सीआईएन नंबर: L24117RJ1979PLC002099
पंजी. कार्यालय: एसपी-460, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर-301 030 (राजस्थान)
कॉर्पोरेट कार्यालय: ए-281, पहली मंजिल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024
फोन: 011-40239034/35, वेबसाइट: lordschloro.com
ई-मेल: secretarial@lordschloro.com

असाधारण आम बैठक का नोटिस

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) शुक्रवार, 12 जुलाई, 2024 को प्रातः 11:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एसपी-460, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर-301 030 (राजस्थान) में आयोजित की जाएगी, जिसमें ईजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट कारोबार का आयोजन 17 जून, 2024 को जारी नोटिस में उल्लेखानुसार किया जाएगा।

28.12.2022 के उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुरूप, ईजीएम बुलाने के लिए नोटिस उपस्थिति पर्चियों और प्रॉक्सी फॉर्म के साथ 20.06.2024 को उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज दिये गये हैं, जिनकी ई-मेल आईडी पहले से ही कंपनी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(स) के साथ पंजीकृत कर दिए गये हैं। ईजीएम के नोटिस की भौतिक प्रति एमसीए परिपत्रों के साथ सदस्यों को भेजने का काम समाप्त कर दिया गया है। भौतिक रूप में शेयरधारक सदस्य जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं और जो ईजीएम के ई-नोटिस विवरण प्राप्त करना चाहते हैं, वे हमें secretarial@lordschloro.com पर लिख सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए वे हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति भेज सकते हैं जिसमें फोलियो नंबर, पूरा पता और पंजीकृत किए जाने वाले ईमेल पते के साथ-साथ पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और सदस्य के पंजीकृत पते का समर्थन करने वाला कोई भी दस्तावेज संलग्न किया गया हो। डीमैट फॉर्म में शेयरधारक सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने ईमेल पते केवल अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(स) के पास ही पंजीकृत करें। ईजीएम का नोटिस कंपनी की वेबसाइट यानी https://www.lordschloro.com/investor-information.html, एनएसडीएल के वेबसाइट यानी www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। ईजीएम में किए जाने वाले कारोबार के सभी दस्तावेज सभी कार्य दिवसों पर कंपनी के कार्य दिवस पर काम के घंटों के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के साथ समय-समय पर संशोधित, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्नता का अनुभव करती है और कारोबार को रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। ईजीएम के आयोजन स्थल (रिमोट ई-वोटिंग) के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं:

अ) ईजीएम के नोटिस में निर्धारित विशेष व्यवसाय रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से किए जा सकते हैं।

ब) रिमोट ई-वोटिंग प्रारम्भ की तिथि और समय: मंगलवार 09 जुलाई, 2024 प्रातः 09:00 बजे।

स) रिमोट ई-वोटिंग के समापन की तिथि और समय: गुरुवार, 11 जुलाई, 2024 सायं 05:00 बजे।

द) ई-वोटिंग या बैलेट के माध्यम से ईजीएम में मतदान करने योग्य वोट डालने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 05 जुलाई, 2024 है।

य) कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी का शेयरधारक है और नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 05 जुलाई, 2024 तक शेयरधारक है, भौतिक रूप में शेयरधारक के मामले में, evoting@nsdl.co.in या secretarial@lordschloro.com पर अनुरोध भेजकर सिक्वेंस नंबर प्राप्त कर सकता है और यदि शेयर डीमैट फॉर्म में हैं, तो कृपया ईजीएम के नोटिस के नोट नंबर 11 को ईजीएम नोटिस के "इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान" के रूप में देखें।

ङ) अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार वक्तव्यः

ए. रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति गुरुवार, 11 जुलाई, 2024 को सायंकाल 5.00 बजे के बाद नहीं दी जाएगी।

बी. ईजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से वोट डालने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे ईजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से अपना वोट डाल सकेंगे।

सी. जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल दिया है, वे भी ईजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

डी. किसी व्यक्ति, जिसका नाम कट–ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 05 जुलाई, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा के साथ–साथ ईजीएम में वोटिंग का लाभ उठाने का हकदार होगा।

च) ईजीएम का नोटिस कंपनी की वेबसाइट https://www.lordschloro.com/investor-information.html, एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट https://www.nseindia.com पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग निर्देशों के लिए, सदस्य ईजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देशों को पढ़ सकते हैं और यदि आपके पास ई–वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और ई–वोटिंग मैनुअल पर उपलब्ध देख सकते हैं।

छ) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई – 400013 को संबोधित की जा सकती है, या evoting.nsdl.co.in पर ईमेल भेज सकते हैं या 1800 102 0990 / 1800 224 430 पर कॉल कर सकते हैं।

कृते लॉर्ड्स क्लोरो अल्कली लिमिटेड
हस्ता/–
अजय विरमानी
प्रबंध निदेशक

दिनांक: 20 जून, 2024
स्थान: नई दिल्ली

कार्यालय ग्राम पंचायत अजीजपुर नौगवाँ वि.खं. ददरौल, शाहजहाँपुर

निविदा आमंत्रण सूचना

पंजीकृत फर्मों के सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत की कार्ययोजना के अनुसार वर्ष 2024–25 में केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग व SLWM व मनरेगा से ग्राम पंचायत में सीसी रोड, इंटरलाकिंग रोड निर्माण, नाली निर्माण/मरम्मत, खण्डजा निर्माण/मरम्मत, मिट्टी कार्य, फर्नीचर व दरी स्ट्रीट व सोलर लाइट, एलईडी लाइट स्थापना/मरम्मत, हैंडपम्प रिबोर/मरम्मत, ह्यूम पाइप क्रय, वॉल पेंटिंग, स्कूल शौचालय निर्माण, दिव्यांग शौचालय निर्माण, मरम्मत, आंगनबाड़ी निर्माण/मरम्मत, स्कूल बॉउंड्रीवाल, पंचायत घर निर्माण, विद्यालयों का कायाकल्प, रंगाई, पुताई, सीएससी केंद्र निर्माण, शोकपिट निर्माण, रैन वॉटर हार्वेस्टिंग, आरआरसी केंद्र निर्माण, खाद गड्ढे, हैंडपंप रेट्रो फिटिंग, समर सेवल कार्य, लाइट फिटिंग, गौशाला हेतु भूसा, हरा चारा, चोकर आदि तथा अन्य कार्य अनुरक्षण सहित कराए जाने है। उक्त वर्णित कार्यों के लिए सामग्री क्रय हेतु ईंट, इंटरलाकिंग ईंट, रोड़ा, सीमेंट, मौरंग, रेत, लोहा सरिया, बजरी, टाइल्स, पाइप, लोहे के एंगल, गाटर/टीन चादर, टोंटी, प्रचार प्रसार बोर्ड, स्टेशनरी, पटान हेतु मिट्टी/राख, ठेली क्रय, ई रिक्शा क्रय सफाई कर्मियों के लिए पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क, फागिंग सफाई किट, कूड़ादान, लोहे के गेट व विंडो अन्य सामग्री/वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सीलबंद निविदाएं ग्राम पंचायत कार्यालय पर दोपहर 12 बजे तक दिनांक 24.06.2024 तक आमंत्रित की जाती है। दिनांक 25.06.2024 को अपराह्न 02 बजे खोली जाएंगी। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

श्रीमती गुड़िया मिश्रा- प्रधान | गोपाल सिंह- सचिव

कार्यालय ग्राम पंचायत कोहनी वि.खं. ददरौल, शाहजहाँपुर

निविदा आमंत्रण सूचना

पंजीकृत फर्मों के सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत की कार्ययोजना के अनुसार वर्ष 2024–25 में केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग व SLWM व मनरेगा से ग्राम पंचायत में सीसी रोड, इंटरलाकिंग रोड निर्माण, नाली निर्माण/मरम्मत, खण्डजा निर्माण/मरम्मत, मिट्टी कार्य, फर्नीचर व दरी स्ट्रीट व सोलर लाइट, एलईडी लाइट स्थापना/मरम्मत, हैंडपम्प रिबोर/मरम्मत, ह्यूम पाइप क्रय, वॉल पेंटिंग, स्कूल शौचालय निर्माण, दिव्यांग शौचालय निर्माण, मरम्मत, आंगनबाड़ी निर्माण/मरम्मत, स्कूल बॉउंड्रीवाल, पंचायत घर निर्माण, विद्यालयों का कायाकल्प, रंगाई, पुताई, सीएससी केंद्र निर्माण, शोकपिट निर्माण, रैन वॉटर हार्वेस्टिंग, आरआरसी केंद्र निर्माण, खाद गड्ढे, हैंडपंप रेट्रो फिटिंग, समर सेवल कार्य, लाइट फिटिंग, गौशाला हेतु भूसा, हरा चारा, चोकर आदि तथा अन्य कार्य अनुरक्षण सहित कराए जाने है। उक्त वर्णित कार्यों के लिए सामग्री क्रय हेतु ईंट, इंटरलाकिंग ईंट, रोड़ा, सीमेंट, मौरंग, रेत, लोहा सरिया, बजरी, टाइल्स, पाइप, लोहे के एंगल, गाटर/टीन चादर, टोंटी, प्रचार प्रसार बोर्ड, स्टेशनरी, पटान हेतु मिट्टी/राख, ठेली क्रय, ई रिक्शा क्रय सफाई कर्मियों के लिए पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क, फागिंग सफाई किट, कूड़ादान, लोहे के गेट व विंडो अन्य सामग्री/वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सीलबंद निविदाएं ग्राम पंचायत कार्यालय पर दोपहर 12 बजे तक दिनांक 24.06.2024 तक आमंत्रित की जाती है। दिनांक 25.06.2024 को अपराह्न 02 बजे खोली जाएंगी। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

श्रीमती जाहिरा बेगम- प्रधान | गोपाल सिंह- सचिव

कार्यालय ग्राम पंचायत मौजमपुर वि.खं. ददरौल, शाहजहाँपुर

निविदा आमंत्रण सूचना

पंजीकृत फर्मों के सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत की कार्ययोजना के अनुसार वर्ष 2024–25 में केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग व SLWM व मनरेगा से ग्राम पंचायत में सीसी रोड, इंटरलाकिंग रोड निर्माण, नाली निर्माण/मरम्मत, खण्डजा निर्माण/मरम्मत, मिट्टी कार्य, फर्नीचर व दरी स्ट्रीट व सोलर लाइट, एलईडी लाइट स्थापना/मरम्मत, हैंडपम्प रिबोर/मरम्मत, ह्यूम पाइप क्रय, वॉल पेंटिंग, स्कूल शौचालय निर्माण, दिव्यांग शौचालय निर्माण, मरम्मत, आंगनबाड़ी निर्माण/मरम्मत, स्कूल बॉउंड्रीवाल, पंचायत घर निर्माण, विद्यालयों का कायाकल्प, रंगाई, पुताई, सीएससी केंद्र निर्माण, शोकपिट निर्माण, रैन वॉटर हार्वेस्टिंग, आरआरसी केंद्र निर्माण, खाद गड्ढे, हैंडपंप रेट्रो फिटिंग, समर सेवल कार्य, लाइट फिटिंग, गौशाला हेतु भूसा, हरा चारा, चोकर आदि तथा अन्य कार्य अनुरक्षण सहित कराए जाने है। उक्त वर्णित कार्यों के लिए सामग्री क्रय हेतु ईंट, इंटरलाकिंग ईंट, रोड़ा, सीमेंट, मौरंग, रेत, लोहा सरिया, बजरी, टाइल्स, पाइप, लोहे के एंगल, गाटर/टीन चादर, टोंटी, प्रचार प्रसार बोर्ड, स्टेशनरी, पटान हेतु मिट्टी/राख, ठेली क्रय, ई रिक्शा क्रय सफाई कर्मियों के लिए पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क, फागिंग सफाई किट, कूड़ादान, लोहे के गेट व विंडो अन्य सामग्री/वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सीलबंद निविदाएं ग्राम पंचायत कार्यालय पर दोपहर 12 बजे तक दिनांक 24.06.2024 तक आमंत्रित की जाती है। दिनांक 25.06.2024 को अपराह्न 02 बजे खोली जाएंगी। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

श्री बृजपाल- प्रधान | गोपाल सिंह- सचिव

कार्यालय ग्राम पंचायत धन्यौरा वि.खं. ददरौल, शाहजहाँपुर

निविदा आमंत्रण सूचना

पंजीकृत फर्मों के सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत की कार्ययोजना के अनुसार वर्ष 2024–25 में केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग व SLWM व मनरेगा से ग्राम पंचायत में सीसी रोड, इंटरलाकिंग रोड निर्माण, नाली निर्माण/मरम्मत, खण्डजा निर्माण/मरम्मत, मिट्टी कार्य, फर्नीचर व दरी स्ट्रीट व सोलर लाइट, एलईडी लाइट स्थापना/मरम्मत, हैंडपम्प रिबोर/मरम्मत, ह्यूम पाइप क्रय, वॉल पेंटिंग, स्कूल शौचालय निर्माण, दिव्यांग शौचालय निर्माण, मरम्मत, आंगनबाड़ी निर्माण/मरम्मत, स्कूल बॉउंड्रीवाल, पंचायत घर निर्माण, विद्यालयों का कायाकल्प, रंगाई, पुताई, सीएससी केंद्र निर्माण, शोकपिट निर्माण, रैन वॉटर हार्वेस्टिंग, आरआरसी केंद्र निर्माण, खाद गड्ढे, हैंडपंप रेट्रो फिटिंग, समर सेवल कार्य, लाइट फिटिंग, गौशाला हेतु भूसा, हरा चारा, चोकर आदि तथा अन्य कार्य अनुरक्षण सहित कराए जाने है। उक्त वर्णित कार्यों के लिए सामग्री क्रय हेतु ईंट, इंटरलाकिंग ईंट, रोड़ा, सीमेंट, मौरंग, रेत, लोहा सरिया, बजरी, टाइल्स, पाइप, लोहे के एंगल, गाटर/टीन चादर, टोंटी, प्रचार प्रसार बोर्ड, स्टेशनरी, पटान हेतु मिट्टी/राख, ठेली क्रय, ई रिक्शा क्रय सफाई कर्मियों के लिए पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क, फागिंग सफाई किट, कूड़ादान, लोहे के गेट व विंडो अन्य सामग्री/वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सीलबंद निविदाएं ग्राम पंचायत कार्यालय पर दोपहर 12 बजे तक दिनांक 24.06.2024 तक आमंत्रित की जाती है। दिनांक 25.06.2024 को अपराह्न 02 बजे खोली जाएंगी। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

श्री रंजीत कुमार- प्रधान | गोपाल सिंह- सचिव

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

(पूर्व में "ए यू हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड" के नाम से ज्ञात) (CIN: L65922RJ2011PLC034297)
पंजीकृत एवं निगमित कार्यालयः 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020

कब्जा नोटिस

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड (पूर्व में "ए यू हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड" के नाम से ज्ञात) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002" की धारा 13(12) और सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सूचना पत्र जारी किया गया। नीचे तालिका में उनके सामने दर्शाए अनुसार राशि का मांग पत्र प्राप्ति के 60 दिन के अंदर भुगतान करने की मांग की गयी। यह है कि ऋणी सम्बंधित राशियों का भुगतान करने में विफल रहे अतः ऋणीयों तथा आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13(4) सहपठित नियम 9 के नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य तालिका में उनके सामने दर्शाई गई दिनांक को ग्रहण कर लिया है। ऋणियों व जमानतियों को विशिष्टया तथा सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। इन सम्पत्तियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार निम्न खातों के सामने दर्शाई गई बकाया राशि तथा उन पर ब्याज व खर्चों के लिए आवास फाईनेंस आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड (पूर्व में "ए यू हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड" के नाम से ज्ञात) के प्रभार के अध्यधीन होगा।

ऋणी का नाम	धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख एवं प्रकार
भारत सिंह, देवी चरण, देवी चरण मुन्नी देवी डी खाता सं. LNAGR00623-240290968	10 अप्रैल 2024 ₹ 1042385/- बकाया दिनांक 4 अप्रैल 2024	विक्रय विलेख नं. 2676, मकान एरिया 189.283 वर्ग मीटर, स्थित मौजा आटुस, तहसील किरोली व जिला-आगरा क्षेत्रफल 189.283 वर्ग मीटर	सांकेतिक कब्जा दिनांक 19 जून 2024

स्थान : जयपुर | दिनांक : 21-06-2024 | प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Piramal Capital & Housing Fin

सीआईएन : एल65910एमएच1984पीएलसी032639
पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 601, 6ठवां तल, पीरामल अमिति बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फॉयर स्टेशन के सम्मुख, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई–400070, दूरभाष : 91 22 3802 4000
शाखा कार्यालय : कार्यालय सं.– 211 एवं 212, द्वितीय तल 'टाइटेनियम' शालीमार कॉर्पोरेट पार्क, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ –226010
संपर्क हेतु व्यक्ति : 1. प्रशांत पांडे : 7054013999, 2. वैभव जैन : 9837536789, 3. विशाल केतले : 958496665

ई–नीलामी विक्रय सूचना- नवीन विक्रय

पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, उधारकर्ता/ओं की ओर बकाया राषि की वसूली हेतु, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत, यहां नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्ति का अधिग्रहण किय जाने के अनुपालनानुसार, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा यहां नीचे विवरणितानुसार अचल सम्पत्ति, जो कि भौतिक अधिग्रहण के अंतर्गत है, के 'जैसी है जहां है आधार', 'जैसी है जो है आधार' तथा 'वहां जो कुछ भी है आधार', जिसके विवरण नीचे दिए गए हैं, के क्रयार्थ प्रस्ताव निमंत्रित किए जाते हैं :–

ऋण कोड / शाखा / उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) के नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	सम्पत्ति पता–अंतिम	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा (धराज) (आरपी का 10%)	बकाया राशि (18.06.2024)
ऋण कोड संख्या : 06000005840, लखनऊ (शाखा), राजेश प्रसाद गुप्ता (उधारकर्ता), अमृता गुप्ता (सह उधारकर्ता 1)	दिनांक : 25–02–2023, रु. 14,91,567/– (रुपये चौदह लाख इक्यानबे हजार पांच सौ सतसठ मात्र)	संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश, जिसका विस्तार निम्नानुसार है :– प्लॉट नं. 11, खसरा नं. 177 का हिस्सा का मिन. ग्राम बनोर, बी के टी लखनऊ बी के टी मंदिर लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश :– 226020 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है, सीमाएं :– उत्तर– दिलीप कुमार वर्मा का प्लॉट, दक्षिण– हरिवंश और अन्य की भूमि, पूर्व– अन्य संपत्ति, पश्चिम– 20 फुट चौड़ी सड़क।	रु. 16,20,000/– (रुपये सोलह लाख बीस हजार मात्र)	रु. 1,62,000/– (रुपये एक लाख बासठ हजार मात्र)	रु. 17,31,514/– (रुपये सत्रह लाख इकतीस हजार पांच सौ चौदह मात्र)

ई–नीलामी की तिथि : 25–07–2024 को 11.00 से 02.00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार सहित),
बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 24–07–2024 को अप. 4.00 बजे से पूर्व

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया **www.piramalfinance.com/e-Auction.html** पर उपलब्ध लिंक का संदर्भ ग्रहण करें अथवा हमें **piramal.auction@piramal.com** पर ईमेल करें।

उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता हेतु सरफॉएसि अधिनियम के अंतर्गत 30 दिवसीय सांविधिक विक्रय सूचना

उपरोक्त वर्णित उधारकर्ता / गारंटर को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे नीलामी की तिथि से पूर्व आज की तिथि तक प्रोद्भूतकृत ब्याज के साथ धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना में अंकितानुसार राशि का पूरा भुगतान कर दें। ऐसा करने में विफल रहने पर संपत्ति नीलाम कर दी जायेगी / उसे बेच दिया जायेगा तथा शेष देय बकाया राशियों, यदि कोई शेष निकलती हों, की वसूली उधारकर्ता / गारंटर से ब्याज एवं लागत सहित की जायेगी।

हस्ता./–
(प्राधिकृत अधिकारी)
पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

दिनांक : 21–06–2024
स्थान : उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक

आपकी उम्मीद का खाता

(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

क्षेत्रीय कार्यालय : एस-24/1-2, प्रथम तल, महावीर नगर, ऑर्डली बाजार, महावीर मंदिर के समीप, वाराणसी - 221 002
पंजीकृत कार्यालय : उत्कर्ष टॉवर, एनएच-31 (एयरपोर्ट मार्ग), सेहमालपुर, काजी सराय, हरहुआ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221 105

अचल संपत्ति की अधिग्रहण सूचना

एतद्द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने यहां इसमें इसके बाद निम्न तालिका में वर्णितानुसार प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित तिथियों पर एक मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ताओं को बकाया राशि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि उधारकर्तागण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा अधोवर्णित ऋणकर्ताओं को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्तियों का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित तिथि पर अधिग्रहण कर लिया है।

अतः अब ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्तियों का लेन–देन न करें तथा संपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, यहां इसमें निम्न तालिका में प्रत्येक खाता के समक्ष निम्नानुसार अंकित बकाया धनराशि और इस राशि पर नियत ब्याज हेतु उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	खाता का नाम	उधारकर्ता/गारंटर का नाम (संपत्ति के स्वामी)	मांग सूचना की तिथि	अधिग्रहण की तिथि	अधिग्रहण सूचना की तिथि के अनुसार बकाया राशि
1.	1354060000006022	श्री पन्ने लाल चौहान (उधारकर्ता) श्री राम किशुन चौहान (गारंटर / बंधककर्ता)	26–03–2024	18–06–2024	रु. 7,97,827/– दिनांक 06–06–2024 के अनुसार

संपत्ति / यों का विवरण : मकान सं. 955 धारक भूमि के समस्त वह भाग तथा अंश जो मौजा जैतपुर उत्तरी, टप्पा कस्बा, परगना हवेली, तहसील सदर जनपद गोरखपुर उत्तर प्रदेश – 273004 में स्थित है, क्षेत्रफल– 605 वर्ग फुट 56.22 वर्ग मीटर, जो वहां उस पर वर्तमान एवं भविष्य के निर्माण के साथ तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व– बलराम तथा श्रीराम का मकान, पश्चिम– सड़क, उत्तर– माया शंकर का मकान, दक्षिण– रेलवे रोड।

हस्ता./–
(प्राधिकृत अधिकारी)
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

दिनांक : 21.06.2024
स्थान : वाराणसी

मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

muthoot HOUSING FINANCE

पंजीकृत कार्यालय : टीसी नं. 14/2074–7, मुथूट सेंटर, पुन्नेन मार्ग, तिरुवनंतपुरम–695 034
सीआईएन नं.– यू65922केएल2010पीएलसी025624, निगमित कार्यालय : 12/ए 01, 13वां तल, परिनी क्रेसेंजो, भूखंड सं. सी38 एवं सी39, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स–जी ब्लॉक (पूर्व), मुंबई–400051, दूरभाष सं.: 022–62728517
ईमेल आईडी : authorised.officer@muthoot.com

परिशिष्ट–IV [नियम 8(1)] अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 की अधिनियम संख्या 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्न वर्णित उधारकर्ता/ओं/गारंटर/रों को एक मांग सूचना निर्गत की थी। उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों की समाप्ति के उपरांत, उधारकर्ता/गण/गारंटर/गण राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता/ओं/गारंटर/रों को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्नानुसार तिथियों पर, सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया है।

क्र. सं.	लैन/उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम	मांग सूचना की तिथि	कुल बकाया राशि (रू.) भावी ब्याज लागू	अधिग्रहण की तिथि
1.	एलएएन नं. MHFLCONUDR000005002220 – MHFLPROUDR000005003045 1. जोशी विष्णु प्यारालाल, 2. इंदिरा जोशी	28–मार्च–2024	रु. 10,81,154.00/– तथा रु. 4,70,706.29/– दिनांक 21–मार्च–2024 के अनुसार	19–जून–2024
	प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) / अचल संपत्ति(यों) का विवरण : अरजी सं. 2347/1 के रूप में विद्यमान संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो ग्राम मनगाथला पटवार सर्किल मनगाथला तहसील मालवी उदयपुर राजस्थान – 313202 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व– सड़क, पश्चिम– भूरी लाल की कृषि भूमि, उत्तर– खयाली लाल का मकान, दक्षिण– पूरनमल टैंक हाउस।			

उधारकर्ता/ओं/गारंटर/रों को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति का लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, ऊपर अंकित मांगी गई एक राशि तथा इस राशि पर भावी ब्याज हेतु मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

स्थान : राजस्थान, दिनांक : 21 जून 2024 | हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, कृते मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

sidbi

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

एसएआरबी – नई दिल्लीः दूसरी मंजिल, आत्मा राम हाउस, 1 टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली–110001, www.sidbi.in

डिमांड नोटिस

(सरफेसी नियम 2002) के नियम 3 के साथ पठित (वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत

उधारकर्ता अर्थात मेसर्स मेहर प्रिंट्स ने शाखा कार्यालय गुरुग्राम के माध्यम से सिडबी से ऋण सुविधाएं/ऋण प्राप्त किए थे। ऋण सुविधाएं/ऋण नीचे अनुसूची में उल्लिखित हैं, जो बंधक और दृष्टिबंधक के माध्यम से विधिवत सुरक्षित किए गए हैं। चूंकि उधारकर्ता ऋण करार की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और समय पर ऋण की चुकौती में चूक की है और बकाया राशि का भुगतान करने में अनियमित हैं, इसलिए उनके ऋणों को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 08 नवंबर, 2023 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था। उपरोक्त ऋण सुविधाओं के अंतर्गत कुल बकाया ऋण और सिडबी को दी गई/बंधक/दृष्टिबंधक प्रतिभूतियों का उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है और उसी राशि पर लागू आगे ब्याज भी देय होगा और यह ऋण स्वीकृति की शर्तों के अनुसार संबंधित तिथियों से प्रभावी रूप से ब्याज लिया जाएगा।

क्र. सं.	उधारकर्ता/गारंटीकर्ता/बंधककर्ता के नाम के साथ पूरा पता	10.05.2024 को बकाया ऋण राशि और लागू ब्याज	अनुसूची - बंधक संपत्ति/सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण
1.	मेसर्स मेहर प्रिंट्स (इसके एकमात्र स्वामी के माध्यम से) प्लॉट नं. 600, पेस सिटी 2, सेक्टर 37, गुड़गांव, हरियाणा–122001	43,60,127.00 रु.	1. प्लॉट संख्या 600, पेस सिटी 2, सेक्टर 37, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित श्री कवल पाल सिंह की 450 वर्ग मीटर माप की अचल संपत्ति का साम्यिक बंधक के माध्यम से प्रथम प्रभार। 2. प्लॉट संख्या 600, पेस सिटी 2, सेक्टर 37, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित मौजूदा संयंत्र, उपकरण, मशीनरी, मशीनरी पुर्जों, औजारों, सहायक उपकरणों और अन्य सभी परिसंपत्तियों के दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रथम प्रभार। जिनमें से प्रमुख उपकरण आदि का वर्णन नीचे किया गया है। स्वचालित फ्लैट बेड प्रिंटिंग मशीन विविध अचल परिसंपत्तियाँ (प्रिंटिंग मशीन के लिए उपकरण और सहायक उपकरण)
2.	सुश्री इवनीत कौर, पुत्री श्री कवल पाल सिंह, मकान नं. 285, भूतल, एच ब्लॉक, विकास पुरी, तिलक नगर, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली–110018।		
3.	श्री जयदीप सिंह पुत्र श्री कवल पाल सिंह, मकान नं. 285, भूतल, एच ब्लॉक, विकास पुरी, तिलक नगर, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली–110018।		
4.	श्री कवल पाल सिंह पुत्र ठाकुर सिंह, मकान नं. 285, भूतल, एच ब्लॉक, विकास पुरी, तिलक नगर, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली–110018।		

उधारकर्ता/गारंटीकर्ता/बंधककर्ता/दृष्टिबंधकर्ता द्वारा दिए गए पतों पर दिनांक 15/05/2024 को भेजी गई मांग सूचना बिना तामील के वापस आ गई है। अतः ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/गारंटीकर्ता/बंधककर्ता/दृष्टिबंधकर्ता से अनुरोध किया जाता है तथा सिडबी आप सभी से मांग करता है कि उपरोक्त बकाया ऋण राशि तथा सिडबी को देय लागू ब्याज, उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार, संबंधित तिथियों से उस पर अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागतें एवं प्रभार आदि, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर अदा करें, ऐसा न करने पर अधोहस्ताक्षरी बैंक को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक एवं दृष्टिबंधक संपत्तियों/प्रतिभूत परिसंपत्ति के प्रति धारा 13(4) सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होगा। उधारकर्ता/गारंटीकर्ता/बंधककर्ता/दृष्टिबंधकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर भी आकर्षित किया जाता है, जो उधारकर्ता को प्रतिभूत परिसंपत्तियों को बचाने(रिडीम) के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी
सिडबी

तिथि: 21.06.2024
स्थान: नई दिल्ली
पता: द्वितीय तल, आत्मा राम हाउस, 1 टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली- 110 001

जियोलोजी विंग को ऑक्शन के लिए प्रतिमाह 1173 हैक्टेयर क्षेत्र के माइनर मिनरल प्लॉट और एक्सप्लोरेशन के लिए 970 मीटर ड्रिलिंग के लक्ष्य : डीएमजी कलाल

अधिकारियों को फील्ड में डेलिनियेशन और एक्सप्लोरेशन गतिविधियां तेज करने के निर्देश

जयपुर (लोकमत, संवाद)। खान विभाग की जियोलोजी विंग को प्रतिमाह माइनर मिनरल के आक्शन के लिए 1173 हैक्टेयर क्षेत्रफल के प्लॉट और मिनरलों की खोज के लिए प्रतिमाह 970 मीटर ड्रिलिंग के लक्ष्य दिए गए हैं। निदेशक माइंस श्री भगवती प्रसाद कलाल गुरुवार को खान विभाग के जियोलोजी विंग के अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से रुबरु हुए। उन्होंने सभी 19 अधीक्षण भूविज्ञानी और वरिष्ट भूविज्ञानी कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि माइनिंग विंग व जियोलोजी विंग में परस्पर समन्वय सहयोग से प्रदेश में खनिज खोज और खनन कार्य को गति दी जानी है। उन्होंने अधिकारियों से अधिक से अधिक फील्ड में रहने और एक्स्प्लोरेशन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

निदेशक माइंस श्री कलाल ने कहा कि अवैध खनन गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए ऐसे क्षेत्रों में वैध खनन को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। इसके लिए अवैद्य खनन गतिविधि क्षेत्रों को चिन्हित कर उस क्षेत्र में प्राथमिकता से खनिज प्लॉटों के डेलियेनेशन का कार्य किया जाए ताकि बेशकीमती खनिज भण्डार के अवैध खनन पर रोक और राजस्व व रोजगार में बढ़ोतरी हो सके। भगवति प्रसाद कलाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मोनेटरिग व्यवस्था को मजबूत किया गया है और उसी को देखते हुए विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति की पाक्षिक समीक्षा की जाएगी। तकनीकी सहायक डीएमजी श्री देवेन्द्र गौड़ ने बताया कि जियोलोजी विंग द्वारा प्रदेश में खनिज खोज कार्य किया जा रहा है। इसके लिए एक्सप्लोरेशन, प्लॉट डेलिनियेशन, ड्रिलिंग व अन्य कार्य किये जा रहे हैं।

अतिरिक्त निदेशक जियोलाजी और राजस्थान स्टेट मिनरल सक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एनपी सिंह ने आरएसएमईटी द्वारा किये जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि एक्सप्लोरेशन कार्य में तेजी लाई जा रही है। वीसी में एडीजी श्री आलोक जैन, श्री एस एन डोडिया, एसजी श्री नितिन चौधरी, श्री मनीष माथुर, श्री पीडी सोनी ने आदि ने सुझाव दिए। श्री संजय दुबे, श्री संजय गोस्वामी, श्री अमिताभ जगावत, श्री सुशील कुमार सहित जियोलोजी विंग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस-2024

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने लिया राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों का जायजा

सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होगा राज्य स्तरीय समारोह

जयपुर (लोकमत, संवाद)। शुक्रवार, 21 जून 2021 को ''स्वयं एवं समाज के लिए योग'' थीम पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10वीं बार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान में आयुर्वेद विभाग के तत्वावधान में राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री एवं आयुष मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा की उपस्थिति में सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में योगाभ्यास का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

जेडीए ने तीसरे दिन हीरा पथ बी 2 बाईपास न्यू सांगानेर रोड़ से वन्देमातरम् मार्ग तक प्रस्तावित 100 फीट सेक्टर रोड़ में करीब 2.5 कि.मी. तक रोड़ सीमा में किये गये अवैध अतिक्रमणों को हटाए

जयपुर (लोकमत, संवाद)। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-पीआरएन साउथ में हीरा पथ बी-2 बाईपास, न्यू सांगानेर रोड़ से वन्देमातरम् मार्ग तक प्रस्तावित 100 फीट सेक्टर रोड़ पर माननीय उच्च न्यायालय डीबी सिविल रिट पीटीषन संख्या 11818/2023 में निर्णय की पालना में करीब 2.5 कि.मी. तक रोड़ सीमा में किये गये अवैध कब्जा-अतिक्रमणों को हटाकर रोड़ सीमा को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेन्द्र कुमार शर्मा के निर्देशन में उपायुक्त पी.आर.एन.(साउथ), समस्त उपनियंत्रक प्रवर्तन एवं प्रवर्तन अधिकारी जोन-01, 08, 14 और पृथ्वीराज नगर साउथ के सहयोग से वन्देमातरम् चौराहा से हीरापथ बी-2 बाईपास, न्यू सांगानेर रोड़ के दोनों तरफ दिनांकः 18.06.2024 से लगातार रोड़ सीमा से अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही जारी रखते हुये आज तीसरे दिन भी करीब 700 मीटर तक रोड़ सीमा में लगभग 70 मकान-दुकानों के किये गये अवैध कब्जों-अतिक्रमणों को जेसीबी मषीन, पोकलेण्ड मशीन व लोखण्डा गैस कटर की सहायता से हटाया गया। कुल 251 में से लगभग 225 कब्जे-अतिक्रमण को दिनांकः 18.06.2024 से आज दिनांकः 20.06.2024 तक हटाया जाकर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

उक्त कार्यवाही मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन के निर्देशन में उपायुक्त पी.आर.एन.(साउथ) समस्त उपनियंत्रक प्रवर्तन एवं प्रवर्तन अधिकारी जोन-01, 08, 14, पी.आर.एन.(साउथ), स्थानीय पुलिस थाने का पुलिस जाब्ता, पुलिस लाईन का अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की चोरी, जिला कलक्टर ने मित्तल कॉलोनी के विक्रय विलेख पत्रों के पंजीयन पर लगाई रोक

धौलपुर (लोकमत, संवाद)। विक्रेता और खरीदार करोड़ों रुपए के मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की चोरी कर राज्य सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगा रहे हैं। जिला कलक्टर श्रीनिधि बीटी ने बड़े पैमाने पर की जा रही चोरी के दृष्टिगत मित्तल कॉलोनी के विक्रय विलेख पत्रों के पंजीयन पर रोक लगा दी है। जानकारी मिली है कि अब बोगस ग्राहकों के जरिए पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क की चोरी की समीक्षा की जाएगी।

जानकारी के अनुसार इधर प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भी सुओमोटो कार्रवाई करते हुए खरीददारों और विक्रेताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पंजीयन डीएलसी की दर और राशि बाजार दर से वसूल की है। इसमें 80 से 90 प्रतिशत का अंतर है। विक्रेता ने डीएलसी की दर से जो भूखंड 30 लाख में बेचना बताया है, खरीदार ने उसी भूखंड की कीमत बाजार दर से करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए चुकाई है। कई जनों ने विक्रय विलेख पत्रों में अंकित राशि से 10 लाख रुपए अधिक देकर भूखंड दिलाने की बात कही है। जांच को इस तरह से अंजाम दिया तो मित्तल बंधु के घरबार बिकने सुनिश्चित है। भू कारोबार में राजनेताओं की अप्रत्यक्ष भागीदारी है। वैसे मित्तल कॉलोनी में भूखंड बिकवाने वाले दलालों की संख्या 11 से अधिक बताई है। वे वाट्सऐप कॉल कर भूखंड की सौदेबाजी करते हैं तो कई मीडियाकर्मी क्रेता-विक्रेता के पक्ष में समाचार प्रकाशित कर जांच को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं।

राज्य का सबसे बड़ा भू कारोबारी : मित्तल बंधु राज्य का सबसे बड़ा भू कारोबारी है। सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के जरिए प्राप्त नक्शों एवं अन्य सूचनाओं के अनुसार मित्तल बंधु ने खातेदारी भूमि की आड़ में गैर मुमकिन रास्ते, नहर, नाले, वक्फ आदि की भूमि खुर्दबुर्द कर दी है। मामला वक्फ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में लाया गया है। कई लोगों ने कहा है कि मित्तल बंधु के कब्जे में धौलपुर के विभिन्न स्थानों पर स्थित समूची भूमि उच्चस्तरीय जांच योग्य है। खुर्दबुर्द भूमि की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मित्तल कॉलोनी की समूची भूमि को सिवायचक घोषित कर सरकारी भूमि का पट्ट लगाया जाना चाहिए।

समूची जमीन में भारी अनियमितताएं : राजस्व विभाग से जुड़े लोगों की मानें तो मित्तल बंधु के कब्जे में जमीन के राजस्व भू अभिलेख में किए गए अंकन में भारी अनियमितताएं हैं। भू अभिलेख में पैमाईश, विक्रय विलेख पत्र, खसरा गिरदावरी और नामांतकरण का अंकन कानून एवं नियमों को दरकिनार कर किया गया है, जो राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती देने योग्य है। बिलंब से रा%य सरकार को बड़े पैमाने पर हानि हो सकती है। जांच में समाचारों के प्रकाशन व प्रसारण करने और नहीं करने वाले मीडियाकर्मियों को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिससे कि केन्द्र व राज्य सरकार की भ्रष्टाचार की जीरो टॉरलेंस की नीति में पारदर्शिता आए।

कैसे स्थापित होगा सुशासन? : केन्द्र व राज्य सरकार सरकार भले ही सुशासन की स्थापना के लिए अनगिनत आदेश-निर्देश जारी करे। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी कर्तव्यों से पल्ला झाड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिन अधिकारियों को निर्माण कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के लिए अधिकृत किया है और निर्माण कार्यों पर निगरानी रखने के लिए राजकोष से वेतन-भत्ते सहित अन्य सुविधाओं का भरण-पोषण किया जा रहा है, वे ही अधिकारी अपने अधिकारों का सबसे अधिक दुरुपयोग कर रहे हैं। जिले में चल रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ प्राप्त परिवादों और जन प्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे पत्र व्यवहारों की भाषा से जाहिर होता है कि वे भी कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार हैं।

विधान सभा अध्यक्ष पद पर वासुदेव देवनानी के छः माह

प्रभावी संचालन और नवाचारों में राजस्थान की देश की विधान सभाओं में अनूठी पहचान, देश की सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाने के प्रयास

जयपुर (लोकमत, संवाद)। राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष पद पर वासुदेव देवनानी के छः माह 21 जून को पूरे हो गये है। शिक्षाविद वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के 18 वें अध्यक्ष है। 16 वीं राजस्थान विधानसभा में उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। श्री देवनानी ने सदन में अध्यक्ष पद पर आसीन होने पर कहा था राजस्थान विधान सभा के सदन की महान परम्पराएं रहीं हैं। सदन की मान-मर्यादा को बनाए रखने के लिए सर्वदा प्रयास होंगे। साथ ही, सदन की ज्यादा से ज्यादा बैठकें और सार्थक बहस हो, इसके लिए भी प्रयास होंगे। अध्यक्ष पद की गरिमा एवं निष्पक्षता बनी रहेगी। सदस्य सदन के नियम एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन करें, ताकि सदन की प्रक्रियाओं का ज्ञान हो सके।

सनातन संस्कृति के प्रतीक : विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी सनातन संस्कृति के प्रतीक है। हिन्दी, सिन्धी और अंग्रेजी भाषा में अच्छी पकड रखने वाले श्री देवनानी ने राजस्थान विधान सभा के सदस्य की शपथ संस्कृत भाषा में ली। उनका मानना है कि संस्कृत सनातन संस्कृति का पर्याय है। विज्ञान, ज्योतिष, खगोल, चिकित्सा विज्ञान के प्रमाणिक ग्रन्थ संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। वे राष्ट्र प्रथम की भावना को जन-जन में जागरुकता लाने के लिए सभी समारोह में जिक्र करते है। उनका मानना है कि हमे भारतीय संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। एक भारत, श्रेष्ठ भारत और अखण्ड भारत का संकल्प के लिए युवाओं को प्रेरित करने वाले श्री देवनानी का कहना है कि विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में प्रत्येक भारतीय को सक्रिय सहभागिता निभानी होगी। विश्व में गूंजे हमारी भारती, जन-जन उतारे आरती, धन्य भारत महान को पूरे विश्व में गुंजायमान की चाहत श्री देवनानी रखते है। वे स्वदेशी की भावना को नई पीढी में पैदा करने की जरूरत बताते है। उनका मानना है कि बच्चों को राष्ट्र के महान वैज्ञानिकों के जीवनी और उनके द्वारा किये गये। अविष्कारों का अध्ययन करना चाहिए। भारत पुरातनकाल से समृद्ध है।

राष्ट्रीय गौरव और रीय चेतना के वाहक : अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय चेतना के वाहक है। वे युवाओं को 4 डी का ध्यान रखने के लिए कहते है। डिसीप्लेन यानि अनुशासन, डिटरमिनेशन यानि प्रतिबद्धता, डिवोसन यानि समर्पण से यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो चौथा डी डवलपमेन्ट यानि विकास उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने अपने शिक्षा मंत्री

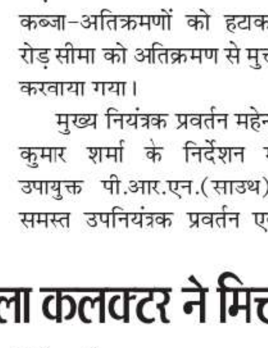

काल के दौरान प्रदेश की विद्यालय शिक्षा में अकबर महान के अध्याय को हटवाकर प्रताप महान का नया अध्याय शामिल करवाया था। इस प्रभावशाली कदम और चुनौतीपूर्ण पहल से देश और प्रदेश के इतिहास में महाराणा प्रताप को गौरवशाली स्थान मिला।

सदन संचालन प्रभावी भूमिका : विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी के रणनीतिक प्रयासों से सदन शान्तिपूर्वक चला। जब कभी भी गतिरोध की स्थिति आयी तो उन्होंने सहजता से पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों को सुना, उनके समाधान के मार्ग निकाले और दोनों पक्षों के सदस्यों को विश्वास में लेकर विधानसभा की कार्यवाही के गतिरोध को दूर कर सदन संचालन में बेहतर मिसाल पेश की। श्री देवनानी ने प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 269 का हवाला देते हुए विधान सभा में नई व्यवस्था दी। सदन के नियमों, गरिमा एवं परम्परा के दृष्टिगत जब आसन पैरों पर हो तो सदन से सदस्य और दीर्घा से अधिकारी बाहर नहीं जायेंगे।

सर्वदलीय बैठक : श्री वासुदेव देवनानी की राजस्थान विधान सभा में सदन चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन एक ऐतिहासिक पहल है। राजस्थान विधान सभा में ऐसा पहली बार हुआ है। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सदन में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। विधान सभा का सदन अधिक से अधिक दिन चले इसके लिए सभी दलों के सभी सदस्यों को सकारात्मक सोच रखनी होगी।

जनहित के मुद्दों पर सदन देर तक भी चलेगा : श्री देवनानी का मानना है कि सदन जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने का पवित्र स्थल है। सदन की गरिमा को बनाएँ रखना विधान सभा सदस्यों की जिम्मेदारी है। समस्याओं का हल बातचीत से होता है। सदन में समस्याओं के निस्तारण का प्रयास होगा। सदस्यों की बातों को गम्भीरता से लिया जायेगा, उनके द्वारा उठाई गई समस्याओं का निस्तारण भी कराया जायेगा।

प्रश्नों के जवाब समय सीमा में : श्री देवनानी ने प्रश्नों के उत्तर समय पर मंगाने आरम्भ कर दिये है। समय पर जवाब नहीं आने की उनकी चिन्ता का आभास राज्य सरकार को हो गया है। समितियों की रिपोर्ट भी समय पर मंगाना सुनिश्चित किया है, जिनकी आवश्यक रूप से सदन में चर्चा भी कराई जायेगी। विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में स्थगन के साथ पूर्व की भांति पर्ची के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्वं के उठाये जाने विषयों की व्यवस्था को पुनः लागू किया जा रहा है। पर्ची से उठाये जाने वाले विषयों पर जवाब भी दिलाया जायेगा। राज्य के मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक विधान सभा में बुलाकर विधान सभा के प्रश्नों के जवाब की समय सीमा तय की।

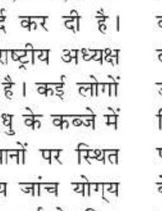

गुमशुदा की तलाश

श्री अंकुश कुमार, आशुलिपिक ग्रेड-II, केन्द्रीय भुमि जल बोर्ड, फरीदाबाद पुत्र स्व. सत्यपाल सिंह निवासी मकान नः 09 न्यु साकेत क्लोनी, राजगढ रोड हिसार, हरियाणा-125001, जोकि केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, भू-जल भवन, फरीदाबाद मे कार्यरत है वह दिनाँक 27.02.2021 से लापता है, तथा उनके परिवार का भी पता नही है।

अतः यदि श्री अंकुश के बारे में कोई भी सूचना मिले तो निम्नलिखित पते पर सूचित करें।

निदेशक प्रशासन
केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड
भू-जल भवन, एन एच-IV
फरीदाबाद (हरियाणा)-121001
फोन नः 0129-2477120, 2477161

CBC 45103/12/0001/2425

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड भरतपुर डीग रोड जिला भरतपुर

क्रमांक : 535-73 दिनांक :- 19.06.2024

बिड आमन्त्रण सूचना संख्या 01/2024-25

खण्ड भरतपुर मं पशुपालन, कृषि विभागएवं कृ.उ.म.स के विभिन्न 11 कार्य भवन व सडक निर्माण/मरम्मत राशि रू. 3.20 लाख से 48.66 लाख कुल राशि 204.58 लाख की ऑन-लाईन बिड ई-प्रोक्यूरमेन्ट (www.eproc.rajasthan.gov.in) के माध्यम से उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत बिडर्स से आमंत्रित की जाती है। बिड से संबंधित विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाईट www.agriculture.rajasthan.gov.in/rsamb एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। जिसका NIB No. AGM2425A0021 एवं UBN No AGM2425WSOB00069 से UBN No AGM2425WSOB00079 है।

राज.संवाद/सी/24/993 अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड भरतपुर

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR

विज्ञापन संख्या : R/07/2024 दिनांक 05 जून, 2024

संस्थान निम्नलिखित पदों के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।

(i) **पेशेवर प्रशिक्षु (वित्त एवं लेखा)** – 10 पद

शैक्षिक योग्यता, आयु एवं अद्यतन जानकारी के लिए http://www.iitkgp.ac.in/non-teaching-positions पर जाएं।

cbc 21255/12/002/2425 कुलसचिव/Registrar

ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग

रुचि की अभिव्यक्ति

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में निगरानी और मूल्यांकन सेवाओं के लिए 'राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर के रूप में संस्थाओं और व्यक्तियों के पैनल' के लिए इच्छुक आवेदकों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है। निविदा https://rural.nic.in और https://eprocure.gov.in/eprocure/app से डाउनलोड की जा सकती है।

आवेदन केवल ऑनलाइन मोड से प्राप्त किए जाएंगे। रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई 2024 शाम 6.00 बजे तक है।

एसडी/-
(सुमिता बुद्धिराजा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सीबीसी 35101/11/0001/2425

Office Executive Engineer Water Resources Division Khajuwala

No. Acctt/ NIB 01/ 2024-25/ 601 Date : 11/06/2024

Notice Inviting Bid (NIB Code WRN2425A0009)

Bid for the work of Silt clearance estimated cost Rs 5.18 lac to 22.90 Lacs of invited from prospective bidders upto 20.06.2024 at 6.00 PM. Other particulars of the bids may be visited on the procurement Portal http://www.eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in of the state and www.water.rajasthan.gov.indepartmental website.

UBN No.
WRN2425WSOB00047 WRN2425WSOB00048
WRN2425WSOB00049 WRN2425WSOB00050

(Om Prakash Regar)
Executive Engineer
Water resources Division
Khajuwala

DIPR/C/4441/2024

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्यूत खण्ड, बीकानेर

क्रमांकः- अअ/ वि.खण्ड/ बी/ निविदा/2024-25/2752 दिनांकः- 18.05.2024

ई-निविदा सूचना संख्या 02/ वर्ष 2024-25
(NIB Code No,PWD2425A0266)

निम्न हस्ताक्षर कर्ता द्वारा राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विद्युतीकरण कार्यों के लिए मोहरबन्द निविदाएं सा.नि.वि. राज में सक्षम क्षेणी में पंजीकृत संवेदकों से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्रों की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा आवेदन/डाउनलोड करने की दिनांक 19.06.2024 से 29.06.2024 तक सांय 6.00 बजे तक जमा कराई जा सकती है। तकनीकी निविदा दिनांक 01.07.2024 को प्रातः 11.00 बजे खोली जायेंगी। प्री-बिड मिटिंग की दिनांक 24.06.2024 दोपहर 01.00 बजे है। निविदा की अन्य शर्ते एवं स्वीकृत तकमीना आदि का विवरण किसी भी कार्य दिवस के दौरान इस कार्यालय में उपस्थित होकर देखा जा सकता है। अन्य शर्ते व विवरण इस कार्यालय में व डीपीआर की वेबसाईट www.dipronline.org, http:/eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। कुल कार्यों की संख्या 10 कुल लागत 139.78 लाख।

UNB No.
1.PWD2425WSOB00923 2.PWD2425WSOB00924
3.PWD2425WSOB00925 4.PWD2425WSOB00926
5.PWD2425WSOB00928 6.PWD2425WSOB00930
7.PWD2425WSOB00931 8.PWD2425WSOB00932
9.PWD2425WSOB00933 10.PWD2425WSOB00934

भवदीय
दिलीप कुमार मण्डरावलिया
अधिशाषी अभियन्ता,
सा.नि.वि.विद्युत खण्ड, बीकानेर

DIPR/C/4596/2024

लॉर्ड्स क्लोरो अल्कली लिमिटेड

सीआईएन नंबरः L24117RJ1979PLC002099
पंजी. कार्यालयः एसपी-460, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर-301 030 (राजस्थान)
कॉर्पोरेट कार्यालयः ए-281, पहली मंजिल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024
फोनः 011-40239034/35, वेबसाइटः lordschloro.com;
ई-मेलः secretarial@lordschloro.com

असाधारण आम बैठक का नोटिस

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) शुक्रवार, 12 जुलाई, 2024 को प्रातः 11:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एसपी-460, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर-301 030 (राजस्थान) में आयोजित की जाएगी, जिसमें ईजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट कारोबार का आयोजन 17 जून, 2024 को जारी नोटिस में उल्लेखानुसार किया जाएगा।

28.12.2022 के उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुरूप, ईजीएम बुलाने के लिए नोटिस उपस्थिति पर्चियों और प्रॉक्सी फॉर्म के साथ 20.06.2024 को उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज दिये गये हैं, जिनकी ई-मेल आईडी पहले से ही कंपनी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(स) के साथ पंजीकृत कर दिए गये हैं। ईजीएम के नोटिस की भौतिक प्रति एमसीए परिपत्रों के साथ सदस्यों को भेजने का काम समाप्त कर लिया गया है। भौतिक रूप में शेयरधारक सदस्य जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं और जो ईजीएम के नोटिस और ई-वोटिंग विवरण प्राप्त करना चाहते हैं, वे हमें secretarial@lordschloro.com पर लिख सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए वे हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति भेज सकते हैं जिसमें फोलियो नंबर, पूरा पता और पंजीकृत किए जाने वाले ईमेल पते के साथ-साथ पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और सदस्य के पंजीकृत पते का समर्थन करने वाला कोई भी दस्तावेज संलग्न किया गया हो। डीमैट फॉर्म में शेयरधारक सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने ईमेल पते केवल अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(स) के पास ही पंजीकृत करें। ईजीएम का नोटिस कंपनी की वेबसाइट यानी https://www.lordschloro.com/investor-information.html, एनएसडीएल की वेबसाइट यानी www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। ईजीएम में किए जाने वाले कारोबार के सभी मदों से संबंधित दस्तावेज ईजीएम की तिथि तक किसी भी कार्य दिवस पर काम के घंटों के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के साथ समय-समय पर संशोधित, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने में हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव करती है और कारोबार को रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। ईजीएम के आयोजन स्थल (रिमोट ई-वोटिंग) के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं:

अ) ईजीएम के नोटिस में निर्धारित विशेष व्यवसाय रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से किए जा सकते हैं।

ब) रिमोट ई-वोटिंग प्रारम्भ की तिथि और समयः मंगलवार 09 जुलाई, 2024 प्रातः 09:00 बजे।

स) रिमोट ई-वोटिंग के समापन की तिथि और समयः गुरुवार, 11 जुलाई, 2024 सांयः 05:00 बजे।

द) ई-वोटिंग या बैलेट के माध्यम से ईजीएम में मतदान करके वोट डालने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 05 जुलाई, 2024 है।

ध) कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी का शेयरधारक है और नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 05 जुलाई, 2024 तक शेयरधारक है, भौतिक रूप में शेयरधारक के मामले में, evoting@nsdl.co.in या secretarial@lordschloro.com पर अनुरोध भेजकर सिक्वेंस नंबर प्राप्त कर सकता है और यदि शेयर डीमैट फॉर्म में हैं, तो कृपया ईजीएम के नोटिस के नोट नंबर 11 को ईजीएम नोटिस के "इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान" के रूप में देखें।

ङ) अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार वक्तव्यः

ए. रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति गुरुवार, 11 जुलाई, 2024 को सांयकाल 5.00 बजे के बाद नहीं दी जाएगी।

बी. ईजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से वोट डालने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे ईजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से अपना वोट डाल सकेंगे।

सी. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल दिया है, वे भी ईजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

डी. किसी व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 05 जुलाई, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ ईजीएम में वोटिंग का लाभ उठाने का हकदार होगा।

च) ईजीएम का नोटिस कंपनी की वेबसाइट https://www.lordschloro.com/investor-information.html, एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट https://www.nseindia.com पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग निर्देशों के लिए, सदस्य ईजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देशों को पढ़ सकते हैं और यदि आपके पास ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और ई-वोटिंग मैनुअल पर उपलब्ध देख सकते हैं।

छ) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई – 400013 को संबोधित की जा सकती हैं, या evoting.nsdl.co.in पर ईमेल भेज सकते हैं या 1800 102 0990/1800 224 430 पर कॉल कर सकते हैं।

कृते लॉर्ड्स क्लोरो अल्कली लिमिटेड
हस्ता/-
अजय विरमानी
प्रबंध निदेशक

दिनांकः 20 जून, 2024
स्थानः नई दिल्ली